



# वार्षिक प्रतिवेदन

**2021-22**



अर्थ एवं संख्या प्रभाग  
राज्य नियोजन संरथान, नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश

website-<http://updes.up.nic.in>

अर्थ एवं संख्या प्रभाग  
राज्य नियोजन संरथान, नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश

website-<http://updes.up.nic.in>



निदेशक,  
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,  
उत्तर प्रदेश।

## प्राक्कथन

प्रदेश के नियोजित विकास के लिये पुष्ट साँचिकीय आँकड़ों की उपादेयता सर्वोच्च स्थान रखती है। इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश स्तर पर नियोजन विभाग के अधीन अर्थ एवं संख्या प्रभाग का गठन किया गया है, जो सतत रूप से प्रदेश के समाजार्थिक विकास को प्रतिबिम्बित करने के लिये विभिन्न आयामों से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रकाशन करता है।

प्रदेश को “वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी” बनाये जाने की प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत प्रभाग द्वारा इस दिशा में प्रदेश की आर्थिक स्थिति के आंकलन के लिये सकल/निवल घरेलू उत्पादों को नियमित रूप से तैयार किये जाने के साथ-साथ सामाजिक सर्वेक्षणों, विभिन्न उत्पादों के भावों के उतार-चढ़ाव व औद्योगिक उत्पादन में हो रहे उत्तरोत्तर विकास का भी नियमित रूप से मापन किया जाता है।

इसी उद्देश्य से प्रभाग द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित साँचिकीय आँकड़ों एवं प्रकाशनों को समाहित करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने का कार्य वर्ष 2011 से किया गया है तथा इस श्रृंखला में वर्तमान में वार्षिक प्रतिवेदन का वर्ष 2021–22 के अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रस्तुत प्रकाशन को अल्प अवधि में तैयार किये जाने हेतु सम्पादक मण्डल के साथ प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का योगदान प्रशंसनीय है।

दिनांक: 04, नवम्बर, 2022

  
(अमृत त्रिपाठी)  
(Amrit Tripathi)  
निदेशक, अर्थ एवं संख्या

## सम्पादक मण्डल

1.	डा० श्रीमती दिव्या सरीन मेहरोत्रा	अपर निदेशक
2.	श्रीमती मालोविका घोषाल	अपर निदेशक
3.	श्रीमती अलका बहुगुणा ढौँडियाल	संयुक्त निदेशक
4.	श्री नवीन चतुर्वेदी	उप निदेशक
5.	श्रीमती मंजू अशोक	उप निदेशक
6.	श्री राजेश कुमार चौहान	अर्थ एवं संख्याधिकारी
7.	श्रीमती दुर्गेश नन्दनी सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी
8.	श्री अरुण कुमार गुप्ता	अर्थ एवं संख्याधिकारी

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

## विषय—वस्तु


अध्याय	पृष्ठ—संख्या
1. अर्थ एवं संख्या प्रभाग—एक परिचय	01—12
2. राज्य लेखा साँख्यिकी	13—23
3. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं विश्लेषण	24
4. डेटा बैंक	25—30
5. भाव साँख्यिकी	31—37
6. औद्योगिक साँख्यिकी	38—44
7. आवास साँख्यिकी	45—47
8. डेटा प्रोसेसिंग एवं सॉफ्टवेयर विकास	48
9. ग्राफ एवं मानचित्रण	49—50
10. वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण	51—53
11. प्रकाशन एवं प्रचार	54—55
12. प्रशिक्षण एवं समन्वय	56—57
13. स्थापना सम्बन्धी कार्य	58—59
14. लेखा सम्बन्धी कार्य	60—62
15. क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य	63—68
16. फोटो सेवन	69—71

# अध्याय—1

## अर्थ एवं संख्या प्रभाग—एक परिचय

### 1.0 पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 09 प्रभाग कार्यरत हैं, जिनमें से एक प्रभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग है। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग है, जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मण्डलों एवं जनपदों में भी स्थित हैं। मण्डल स्तर पर श्रेणी—1 के उप निदेशक तथा सभी जनपदों में श्रेणी—2 के अर्थ एवं संख्याधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इस प्रभाग का एक कार्मिक—सहायक विकास अधिकारी (साँख्यिकीय) वर्तमान में सहायक साँख्यिकीय अधिकारी तैनात रहता है, जो खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पद—स्थित होता है।




उत्तर प्रदेश में ऑकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित व संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने के दायित्व की पूर्ति हेतु इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में Bureau of Statistics and Economic Research नाम से की गई थी। वर्ष 1938 में इस Bureau को पुनर्गठित कर पहले उद्योग निदेशालय, तत्पश्चात् मूल्य नियंत्रण विभाग में संविलीन किया गया। वर्ष 1942 में मूल्य नियंत्रण विभाग को समाप्त कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग बनाए गए। अर्थ एवं संख्या विभाग को आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1947 में राज्य सचिवालय के अन्तर्गत आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित करके अर्थ एवं संख्या विभाग को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। प्रयागराज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो० एस० के० रुद्रा (1942–1947) को प्रथम आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक नियुक्त किया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही विभाग को अर्थ एवं संख्या प्रभाग नाम दिया गया।

वर्ष 1951 तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय का दायित्व राज्य मुख्यालय तक ही सीमित रहा। वर्ष 1952 में प्रत्येक जनपद में Economic Intelligence Inspector के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्य सम्पादन एवं विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की प्रगति के विवरण के संकलन, भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1958 में प्रत्येक जनपद में जिला साँख्यिकीय अधिकारी के पद सृजित करते हुए उनके कार्यालयों की स्थापना की गई। विकास कार्यों से सम्बन्धित ऑकड़ों के रखरखाव तथा प्रगति के


अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक—एक प्रगति सहायक वर्तमान पदनाम सहायक साँख्यिकीय अधिकारी के पद का सृजन वर्ष 1959 में किया गया। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने हेतु वर्ष 1973 में प्रत्येक जिला साँख्यिकीय कार्यालय में अर्थ अधिकारी के पद एवं अन्य अधीनस्थ पद सृजित किए गए। वर्ष 1988 में जनपद स्तरीय कार्यालय में पदस्थित श्रेणी—2 के पदों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पुनः पदाभिहीत संवर्ग में सम्मिलित और संविलीन किया गया।

मण्डल स्तर पर साँख्यिकीय कार्यों के सम्पादन, विकास कार्यों के नियोजन एवं अनुश्रवण में मण्डलायुक्त के सहायतार्थ तथा प्रभागीय जनपद कार्यालय के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1979 में उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की गयी।



नोट — पदनाम के समक्ष भरे पदों की संख्या प्रदर्शित की गई है।

## मण्डल/जनपद का संगठनात्मक ढांचा



नोट – पदनाम के समक्ष भरे पदों की संख्या प्रदर्शित की गई है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में दिनांक 31–03–2022 को स्वीकृत एवं भरे पदों की संकलित स्थिति निम्नवत् रही—

राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	
	कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
913	755	182 / 8	1937	773	182 / 7	2850	<b>1528</b>	364 / 15

### 1.1 प्रभाग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य

- (1) प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।
- (2) प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।
- (3) राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।
- (4) केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।
- (5) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सॉखियकीय कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सॉखियकीय कार्यों को समुचित दिशा प्रदान करना।
- (6) विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना।
- (7) जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण।

### 1.2 प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

- I. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना।
- II. प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार करना।
- III. राज्य में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग प्रदान करना।
- IV. जिला योजना को तैयार करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

#### 1.2.1 गतिविधि—I के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम, त्वरित, संशोधित और तिमाही अनुमान तैयार करना।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमानों को तैयार करना।
- जनपदीय घरेलू उत्पाद के अनुमान को तैयार करना।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का निर्माण।
- थोक भाव सूचकांक, ग्रामीण एवं नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तथा ग्रामीण और नगरीय मजदूरी दर सूचकांक का निर्माण।

#### 1.2.2 गतिविधि—II के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श का सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
- 47 आवश्यक वस्तुओं का भाव संग्रह एवं संकलन करना।

- साँचियकीय डायरी, जिला और मण्डलीय साँचियकीय पत्रिका, जिलेवार विकास संकेतांकों, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक साँचियकी आदि का प्रकाशन करना।
  - ग्रामवार आधारभूत ऑकड़ों का संग्रह करना।
  - आवास साँचियकी से सम्बन्धित ऑकड़ों का संग्रह करना।
  - भवन निर्माण लागत सूचकांक तैयार करना।
- उक्त से सम्बन्धित प्राथमिक ऑकड़ों का एकत्रण जनपदीय कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है।

#### **1.2.3 गतिविधि—III एवं IV के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य—**

- नियमित रूप से प्रभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्राथमिक ऑकड़ों का संग्रह, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का संकलन तथा जिला एवं मण्डलीय प्रशासन को योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद / मण्डल में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करना।
- उ०प्र०सरकार के नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं यथा—राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यूनिक आइडेन्टिफिकेशन, त्वरित आर्थिक विकास योजना, नवाचार निधि इत्यादि के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला योजना को तैयार करना और उसकी जिला योजना समिति से मंजूरी प्राप्त करना।

#### **1.3 प्रभाग मुख्यालय पर अनुभागीय संरचना—**

प्रभाग मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं –

1. राज्य आय अनुभाग
2. क्षेत्राधीक्षण रा०प्र०स०—१ अनुभाग
3. विश्लेषण रा०प्र०स०—२ अनुभाग
4. डेटा बैंक अनुभाग
5. भाव अनुभाग
6. औद्योगिक साँचियकी अनुभाग
7. आवास साँचियकी अनुभाग
8. संगणक अनुभाग
9. ग्राफ एवं पुस्तकालय अनुभाग
10. वाह्य सहायतीत कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग
11. समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग
12. प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग
13. एस०डी०जी० सेल
14. स्थापना अनुभाग
15. लेखा अनुभाग—१
16. लेखा अनुभाग—२

#### 1.4 प्रभाग में स्वीकृत पद

##### 1.4.1 प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31.03.2022)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>समूह 'क'</b>			
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400–67000, 8900 लेवल 13क – 131100	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	1
3	अपर निदेशक	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	2
4	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	1
6	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11 – 67700	8
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600 लेवल 11 – 67700	2
<b>योग</b>			<b>19</b>
<b>समूह 'ख'</b>			
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10 – 56100	11
9	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10 – 56100	3
10	अपर साँचिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7 – 44900	88
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7 – 44900	4
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10 – 56100	1
13	सहायक लेखाधिकारी	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
14	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7 – 44900	1
<b>योग</b>			<b>109</b>
	<b>योग राजपत्रित 'क' व 'ख'</b>		<b>128</b>

समूह 'ग'			
15	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7— 44900	2
16	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6— 35400	3
17	कलाकार	5200–20200,2800 लेवल 5— 29200	1
18	लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
19	सहायक लेखाकार	तदैव	1
20	सहायक साँख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6— 35400	50
21	प्रधान सहायक	9300–34800,4200 लेवल 6— 35400	10
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300–34800,4600 लेवल 7— 44900	5
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300–34800,4200 लेवल 6— 35400	12
24	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5— 29200	1
25	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5— 29200	13
26	कनिष्ठ सहायक / अवधाता	5200–20200,2000 लेवल 3— 21700	28
27	पंच सुपरवाइजर	5200–20200,2800 लेवल 5— 29200	1
28	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-1	5200–20200,2400 लेवल 4— 25500	9
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-2	5200–20200,1900 लेवल 2— 19900	1
30	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2— 19900	3
योग			141
समूह 'घ'			
31	मशीन आपरेटर	5200–20200,1800 लेवल 1— 18000	1
32	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200–20200,1800 लेवल 1— 18000	3
33	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200,1800 लेवल 1— 18000	33
	योग		37
	महायोग		306

#### 1.4.2 प्रभाग के प्रत्येक मण्डल स्तरीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों की स्थिति (31.03.2022)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11— 67700	1 <sup>#</sup>
2	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10— 56100	1
3	मुख्य कलाकार / वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7— 44900	1
4	अपर साँचिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7— 44900	3
5	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5— 29200	1
6	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5— 29200	1
7	कनिष्ठ सहायक	5200–20200,2000 लेवल 3— 21700	1—2
8	उर्दू अनुवादक / सह वरिं सहायक	5200–20200,2400 लेवल 4— 25500	1'
9	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2— 19900	1''
10	चपरासी	5200–20200,1800 लेवल 1— 18000	1—3

<sup>#</sup>अलीगढ़ मण्डल पर उप निदेशक का पद सृजित नहीं है।

' मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ तथा अयोध्या में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

'' देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है।

#### 1.4.3 प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों की स्थिति (31—03—2022)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10— 56100	2'
2	वरिष्ठ कलाकार / कलाकार	9300–34800,4200 5200–20200,2800 लेवल 5— 29200	1
3	अपर साँचिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7— 44900	4—9''
4	सहायक साँचिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6— 35400	1—7''
5	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5— 29200	1—2''
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20200,2000 लेवल 3— 21700	2 <sup>#</sup>
7	डेटा इन्फ्री आपरेटर दैनिक	—	1 <sup>##</sup>
8	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2— 19900	1
9	चपरासी	5200–20200,1800 लेवल 1— 18000	1—3''

12 जनपदों – कन्नौज, बागपत, औरैया, कानपुर नगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, श्रावस्ती, भदोही, अमरोहा एवं रामपुर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1 ही पद सृजित हैं।

'' जनपद में कार्य की आवश्यकतानुसार पद सृजित हैं।

<sup>#</sup>जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

<sup>##</sup> 4 जनपदों – कन्नौज, बागपत, औरैया व संतकबीर नगर में ही यह पद सृजित है।

31 मार्च, 2022

**अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० के अधिकारियों/कर्मचारियों का समूहवार विवरण**

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
	<b>राजपत्रित समूह क</b>			
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	1	0	1
2	अपर निदेशक	2	0	2
3	अपर निदेशक (प्रशासन)	1	0	1
4	संयुक्त निदेशक	4	4	0
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	1	1	0
6	उप निदेशक	28	27	1
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	2	1	1
	<b>योग (समूह क)</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>6</b>
	<b>समूह ख</b>			
8	प्रोग्रामर	3	0	3
9	अर्थ एवं संख्याधिकारी	172	126	46
10	प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0
11	वित्त लेखाधिकारी	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0
13	अपर साँख्यकीय अधिकारी	692	589	103
14	मुख्य ग्राफ आर्टिस्ट परिवर्तित पदनाम मुख्य कलाकार	14	1	13
	<b>योग (समूह ख)</b>	<b>887</b>	<b>722</b>	<b>152</b>
	<b>समूह ग</b>			
15	वरिष्ठ कलाकार	33	28	5
16	कलाकार	52	1	51
17	लेखाकार	1	0	1
18	सहायक लेखाकार	1	1	0
19	सहायक साँख्यकीय अधिकारी	1041	279	762
20	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-1	5	3	2
21	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-2	12	6	6
22	आशुलिपिक	18	10	8
23	प्रधान सहायक	10	6	4
24	वरिष्ठ सहायक	171	152	19
25	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	202	88	114
26	उर्दू अनुवादक/ सह वरि० सहायक	7	7	0
27	पंच सुपरवाइजर	1	0	1
28	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-1	9	0	9
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-2	1	0	1
30	जीप चालक	83	44	39
31	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	4	0	4
	<b>योग (समूह ग)</b>	<b>1651</b>	<b>625</b>	<b>1039</b>

	<b>समूह घ</b>				
32	मशीन आपरेटर		1	0	1
33	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी		3	2	1
34	कार्यालय चपरासी, फर्रश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर		269	146	123
	<b>योग (समूह घ)</b>		<b>273</b>	<b>148</b>	<b>125</b>
	<b>महायोग</b>		<b>2850</b>	<b>1528</b>	<b>1322</b>

दिनांक 31.03.2022 से प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति												
क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान			लेवल	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद (संख्या में)					योग
		वेतन -बैंड	ग्रेड - बैंड	आरक्षित			अर्थात् जाति	अनुज्ञाजाति जन0	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई. डब्ल्यू. एस.		
		(रु०में)	(रु० में)	आरक्षित			सामान्य	अनुज्ञाजाति जन0	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई. डब्ल्यू. एस.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>राजपत्रित समूह 'क'</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400-67000,	8900	13 क	1	—	—	—	—	—	—	
2	अपर निदेशक	37400-67000	8700	13	2	—	—	—	—	—	—	
3	अपर निदेशक (प्रशासन)				1	—	—	—	—	—	—	
4	संयुक्त निदेशक	15600-39100	7600	12	4	4	—	—	—	—	—	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100	7600	12	1	—	1	—	—	—	—	1
6	उप निदेशक	15600-39100	6600	11	28	15	5	—	7	—	27	
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100	6600	11	2		1		—	—	1	
	<b>राजपत्रित समूह 'क' योग</b>				<b>39</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	
	<b>राजपत्रित समूह 'ख'</b>											
8	प्रोग्रामर	15600-39100	5400	10	3					—		
9	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600-39100	5400	10	172	59	21		46	—	126	
10	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	7	4	4	—		—	—	4	
11	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600-39100	5400	10	1	1	—		—	—	1	
12	सहायक लेखाधिकारी	9300-34800	4600	7	1	1	—		—	—	1	
13	अपर सांच्चिकीय अधिकारी	9300-34800	4600	7	692	197	154	8	230	—	589	
14	मुख्य ग्राफ आर्टिस्ट परिवर्तित पदनाम मुख्यकलाकार	9300-34800	4600	7	14	—	—		1	—	1	
	<b>राजपत्रित समूह 'ख' योग</b>				<b>887</b>	<b>262</b>	<b>175</b>	<b>8</b>	<b>277</b>	<b>—</b>	<b>722</b>	
	<b>अराजपत्रित समूह 'ग'</b>									—		

दिनांक 31.03.2022 से प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति												
क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान			लेवल	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद (संख्या में)					योग
		वेतन -बैंड (रु०में)	ग्रेड - बैंड (रु० में)	आरक्षित			अनु०ज0जा०	अनु०जन0	अन्य पिछङा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इ. डब्ल्यू. एस.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	वरिष्ठ कलाकार	9300-34800	4200	6	33	9	8	—	11	—	28	
16	कलाकार	9300-34800	2800	5	52		1	—		—	1	
17	लेखाकार				1			—		—		
18	सहायक लेखाकार				1	1		—		—	1	
19	सहायक साँख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4200	6	1041	136	57	—	86	—	279	
20	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-1	9300-34800	4600	7	5	2	—	—	1	—	3	
21	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-2	9300-34800	4200	6	12	1	2	—	3		6	
22	आशुलिपिक	5200-20200	2800	5	18	2	2	—	6	—	10	
23	प्रधान सहायक	9300-34800	4200	6	10	3	2	—	1	—	6	
24	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	5	171	53	54	3	42		152	
25	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200-20200	2000	3	202	22	12	—	54		88	
26	उर्दू अनुवादक/सह वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2400	4	7	6		—	1	—	7	
27	पंच सुपरवाइजर	5200-20200	2800	5	1	—	—	—	—	—		
28	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-1	5200-20200	2400	4	9	—	—	—	—	—		
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड-2	5200-20200	1900	2	1	—	—	—	—	—		
30	जीप चालक	5200-20200	1900	2	83	10	8	1	25	—	44	
31	डाटा इन्ट्री आपरेटर				4	—	—		—	—		
	समूह 'ग' योग					1651	245	146	4	230	—	625
32	मशीन आपरेटर	5200-20200	1800	1	1	—	—		—	—	—	
33	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200-20200	1800	1	3	2	—		—	—	2	
	अराजपत्रित समूह 'घ'											
34	कार्यालय चपरासी, फराश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200-20200	1800	1	269	60	36	3	47	—	146	
	समूह 'घ' योग					273	62	36	3	47		148
	योग					2850	588	364	15	561	—	1528

## **1.5 प्रभाग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों की स्थिति**

वर्तमान में प्रभाग मुख्यालय का कार्यालय 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन परिसर, लखनऊ स्थित अर्थ एवं संख्या भवन में स्थापित है। मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के 8 कार्यालय – आजमगढ़, अयोध्या, चित्रकूटधाम, अलीगढ़, झाँसी, बस्ती, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल शासकीय भवन में तथा शेष 10 मण्डल कार्यालय निजी भवन में स्थापित हैं। 73 जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय विकास भवन में स्थित एवं शेष 02 जनपदों के कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

**\*\*\*\*\***

## अध्याय—2

# राज्य लेखा साँख्यिकी

### **2.0 पृष्ठभूमि—**

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राज्य आय अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं—

1. राज्य आय अनुमान।
2. जिला आय अनुमान।
3. उत्तर प्रदेश के आय—व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण।
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा।
5. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी ऑकड़े।
6. स्थानीय निकायों के आय—व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य।

### **2.1. राज्य आय अनुमान (State Income Estimates)**

#### **2.1.1 सामान्य परिचय**

- राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है।
- राज्य आय अनुमान स्थायी एवं प्रचलित भावों पर तैयार किये जाते हैं। स्थायी भावों पर तैयार अनुमान भाव परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- सकल राज्य आय से स्थायी पूँजी के उपयोग/द्वास को घटाने पर निवल राज्य अनुमान प्राप्त होते हैं।
- अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्तर के बोध के लिए, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने, समय के साथ अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु इन अनुमानों का प्रयोग किया जाता है।

#### **2.1.2 राज्य स्तरीय अनुमानों की पृष्ठभूमि व आधार वर्ष**

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राज्य आय के अनुमान वर्ष 1950–51 से निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं।
- सर्वप्रथम आधार वर्ष 1948–49 पर राज्य आय अनुमान तैयार किये गये। तदोपरान्त आधार वर्ष 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94, 1999–2000 व 2004–05 एवं 2011–12 पर अनुमान तैयार किये गये तथा वर्तमान में आधार वर्ष 2011–12 पर अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 तक आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2021–22(अग्रिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

#### **2.1.3 खण्डीय संरचना व ऑकड़ों के स्रोत**

- अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया—कलापों को 11 खण्डों में विभाजित कर खण्डवार आय अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- उक्त क्रिया—कलापों/खण्डों को 3 प्रमुख खण्डों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों में वर्गीकृत किया गया है।
- आय अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, राजस्व, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनिज, विद्युत, परिवहन, भण्डारण आदि प्रदेश के स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थानों, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राज्य सरकार के बजट अभिलेख, जनगणना 2011 तथा राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय अंश के उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों का प्रयोग किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अनुमान तैयार करने हेतु नवीनतम् सर्वेक्षणों/अध्ययनों के उपलब्ध परिणामों का प्रयोग किया जाता है।

#### **2.1.4 क्रियाविधि**

- राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्रियाविधि एवं दिशा—निर्देशन का अनुसरण करके अनुमान तैयार किये जाते हैं।

- राज्य आय अनुमान के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया—कलापों का मापन निहित है। अतः विभिन्न खण्डों के लिये आय मापन हेतु अलग—अलग विधि यथा प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एवं एक्सपेंडिचर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।
- राज्य आय के वार्षिक अनुमानों को प्रदेश की साँख्यिकीय समन्वय समिति की उपसमिति “क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक” की बैठक आयोजित कराकर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों पर गहन विचार—विमर्श के उपरान्त ऑकड़ों की पुष्टि कराकर अंतिम रूप दिया जाता है।
- वार्षिक आय अनुमानों को राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक विचार—विमर्श एवं अधुनान्त उपलब्ध ऑकड़ों के क्रम में संशोधित कर परिष्कृत किया जाता है।

### 2.1.5 वार्षिक कैलेंडर

वर्षान्तर्गत राज्य आय के त्वरित, अग्रिम व संशोधित अनुमान तथा त्रैमासिक अनुमान निर्गत किये जाते हैं। राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार उक्त तैयार अनुमानों को जारी करने हेतु कैलेंडर का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् है—

### Revised Advance Release Calendar For Releasing Estimates of GSDP

क्र० सं०	आय अनुमान	निर्धारित तिथि
1.	राज्य आय के अग्रिम अनुमान	15 फरवरी
2.	राज्य आय के संशोधित अनुमान	30 जून
3.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q1 (अप्रैल—जून)	30 सितम्बर
4.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q2 (जुलाई—सितम्बर)	15 जनवरी
5.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q3 (अक्टूबर—दिसम्बर)	31 मार्च
6.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q4 (जनवरी—मार्च)	15 जुलाई
7.	राज्य आय के त्वरित अनुमान *	31 दिसम्बर

\*राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश (वार्षिक प्रकाशन) जारी किये गये राज्य के त्वरित अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है, जो कि विधान मण्डल में वितरित किया जाता है।

### 2.1.6 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

- आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21 तक के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश की साँख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति “क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक” की दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को आयोजित बैठक में विभिन्न खण्डों के ऑकड़ों की पुष्टि करायी गयी।
- उक्त अनुमानों से सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न परिणामों की तालिकायें/ग्राफ/चार्ट तैयार करके एवं विश्लेषण कर प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन “राज्य आय अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21” तैयार कर प्रकाशित कराया गया, जो कि नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है।
- प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 2021–2022 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये।
- वर्षान्तर्गत निम्न 4 त्रैमासों के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान निर्धारित कैलेन्डर के अनुरूप तैयार किये गये—

- माह जनवरी 2021 से मार्च 2021— चतुर्थ त्रैमास (वर्ष 2020–21)
- माह अप्रैल 2021 से जून 2021— प्रथम त्रैमास (वर्ष 2021–22)
- माह जुलाई 2021 से सितम्बर 2021— द्वितीय त्रैमास (वर्ष 2021–22)
- माह अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021— तृतीय त्रैमास (वर्ष 2021–22)

#### **2.1.7 प्रशिक्षण/सेमिनार/वर्कशाप**

आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किए गए वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 के प्रदेश के आय अनुमानों पर राष्ट्रीय साँखियकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ दिनांक 30.03.2021 से 30.04.2021 की अवधि में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा तुलनात्मक विचार–विमर्श में प्रतिभाग किया गया।

#### **2.1.8 मुख्य परिणाम**

#### **भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद\***

वर्ष	प्रचलित भावों पर सकल आय (करोड़ रु0 )		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय (करोड़ रु0 )		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	8736329	724050	8.3	8736329	724050	8.3		
2012-13	9944013	822393	8.3	9213017	758205	8.2	5.5	4.7
2013-14	11233522	940356	8.4	9801370	802070	8.2	6.4	5.8
2014-15	12467959	1011790	8.1	10527674	834432	7.9	7.4	4.0
2015-16	13771874	1137808	8.3	11369493	908241	8.0	8.0	8.8
2016-17	15391669	1288700	8.4	12308193	1011501	8.2	8.3	11.4
2017-18	17090042	1439706	8.4	13144582	1056399	8.0	6.8	4.4
2018-19	18899668	1582853	8.4	13992914	1101609	7.9	6.5	4.3
2019-20	20074856	1710496	8.5	14515958	1137626	7.8	3.7	3.3
2020-21	19800914	1717505	8.7	13558473	1089612	8.0	-6.6	-4.2
2021-22	23643875	1910217	8.1	14771681	1168741	7.9	8.9	7.3

#### **भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय\***

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (करोड़ रु0 )		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय (करोड़रु0 )		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	63462	32002	50.4	63462	32002	50.4		
2012-13	70983	35812	50.5	65538	32908	50.2	3.3	2.8
2013-14	79118	40124	50.7	68572	34044	49.6	4.6	3.5
2014-15	86647	42267	48.8	72805	34583	47.5	6.2	1.6
2015-16	94797	47118	49.7	77659	36973	47.6	6.7	6.9
2016-17	104880	52671	50.2	83003	40847	49.2	6.9	10.5
2017-18	115224	57944	50.3	87586	41771	47.7	5.5	2.3
2018-19	125946	62380	49.5	92133	42523	46.2	5.2	1.8
2019-20	132115	66136	50.1	94270	42888	45.5	2.3	0.9
2020-21	126855	65338	51.5	85110	40310	47.4	-9.7	-6.0
2021-22	149848	71472	47.7	91723	42602	46.4	7.8	5.7

### भारत तथा उत्तर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन उत्पाद का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर) \*

खण्ड	2011–12		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	भारत	उत्तर प्रदेश														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	18.5	26.9	17.7	25.8	18.0	24.8	18.3	24.6	17.6	24.4	18.3	24.7	20.0	25.9	18.6	24.9
प्राथमिक	21.7	27.8	20.1	26.8	20.4	25.8	20.4	26.6	19.8	26.1	20.2	25.5	21.8	27.0	21.0	26.0
विनिर्माण	17.4	12.9	17.1	12.4	16.7	15.1	16.6	13.4	16.4	12.0	14.7	10.9	15.0	10.4	15.6	11.4
माध्यमिक	29.3	26.7	27.6	25.5	27.0	27.9	27.0	26.1	26.9	25.4	24.9	24.1	25.1	23.8	26.2	24.6
तृतीयक	49.0	45.5	52.3	47.7	52.6	46.3	52.5	47.3	53.3	48.5	54.8	50.4	53.1	49.2	52.8	49.4
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

### भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि (2011–12 भावों पर) \*

खण्ड	2012–13		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22	
	भारत	उत्तर प्रदेश														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	1.5	4.6	0.6	4.2	6.8	6.2	6.6	3.7	2.1	6.5	5.5	1.7	3.3	-0.02	3.3	1.71
प्राथमिक	1.4	4.4	2.1	5.6	7.3	6.4	4.5	9.9	1.6	5.3	4.5	-3.5	1.6	2.3	4.4	1.4
विनिर्माण	5.5	4.1	13.1	26.4	7.9	47.0	7.5	-10.9	5.4	-5.8	-2.9	-3.3	-0.6	-7.3	10.5	17.3
माध्यमिक	3.6	2.8	9.5	15.3	7.5	28.0	7.1	-4.7	5.9	1.0	-1.4	-0.1	-2.8	-6.0	10.1	11.9
तृतीयक	8.3	6.8	9.4	7.6	8.5	5.7	6.3	8.6	7.2	6.3	6.3	8.5	-7.8	-4.3	8.6	7.1
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	5.4	5.1	8.0	9.0	8.0	11.8	6.2	4.8	5.8	4.6	3.8	3.3	-4.8	-3.3	8.3	6.9
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)	5.5	4.7	8.0	8.8	8.3	11.4	6.8	4.4	6.5	4.3	3.7	3.3	-6.6	-4.2	8.9	7.3

- नोट \*** 1. उ0प्र0 के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2019–20 के अनन्तिम, 2020–21 के त्वरित अनुमान व 2021–22 के अग्रिम अनुमान।  
 2. भारत के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2019–20 के द्वितीय संशोधित अनुमान व वर्ष 2020–21 के प्रथम संशोधित अनुमान व 2021–22 के द्वितीय अग्रिम अनुमान।

### 2.2 जिला घरेलू उत्पाद अनुमान (District Domestic Product Estimates)

#### 2.2.1 सामान्य परिचय

राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय आय वैभिन्नताओं (disparities) को कम किया जाये। अतः सुनियोजित विकास हेतु जनपद स्तरीय आर्थिक संकेतक अति आवश्यक हैं। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों का महत्व एवं आवश्यकता और अधिक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये जाते हैं। मानव विकास सूचकांक/प्रतिवेदन तैयार करने में इन अनुमानों का विशेष महत्व है।

#### 2.2.2 पृष्ठभूमि व क्रियाविधि

सर्वप्रथम नेशलन काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में वर्ष 1955–56 के प्रचलित भावों पर जिला घरेलू उत्पाद अनुमान अपने प्रकाशन “इंटर डिस्ट्रिक्ट एण्ड इंटर स्टेट डिफरेन्सियल्स 1955–56” में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय के स्व. प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा मोनोग्राम ‘इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्कम एण्ड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश’ प्रस्तुत किया गया। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्रचलित भावों पर वर्ष 1968–69 में जनपदवार 5 वस्तु

उत्पादन खण्डों यथा—कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग एवं लृपे बनाना, मछली उद्योग, खनन् तथा पत्थर निकालना एवं विनिर्माण के अनुमान तैयार किये गये। इन अनुमानों में अपनायी गयी पद्धति पर राष्ट्रीय साँखिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से विचार-विमर्श किया गया। वर्ष 1978 में उक्त 5 वर्स्तु उत्पादन खण्डों के अनुमान प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 1960–61, 1968–69 और 1970–71 से 1973–74 तक के लिए तैयार किये गये जो वर्ष 1996–97 तक बनाये गये।

अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के अर्थ एवं संख्या विभाग ने संयुक्त रूप से अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करने के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की जो कि राष्ट्रीय साँखिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त समस्त राज्यों में लागू की गयी। इस क्रियाविधि का अनुसरण करके राज्य आय की ही भांति जिला घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के लिए वर्ष 1993–94 तथा 1997–98 के लिए तैयार किये गये। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में इसी प्रकार समस्त 13 खण्डों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

### 2.2.3 आधार वर्ष

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करने हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान के आधार वर्ष के अनुसार ही रखा जाता है। जिला आय अनुमान हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान की ही भांति वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21 (अनन्तिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

### 2.2.4 कैलेंडर

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान प्रतिवर्ष अनन्तिम एवं संशोधित जारी किये जाते हैं।

### 2.2.5 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

- विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्र कर उनका संकलन एवं संगणन करके खण्डवार संकलित करके आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2019–20 (संशोधित) एवं वर्ष 2020–21 (अनन्तिम) के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये गये।
- जिला घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थ एवं संख्या प्रभाग की वेबसाइट <http://updes.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं।

### 2.2.6 मुख्य परिणामः—

आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2019–20 (संशोधित) एवं वर्ष 2020–21 (अनन्तिम) के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान के मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं।

सकल घरेलू जिला उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले उच्चतम् 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है—

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष 2019–20 (संशोधित)		वर्ष 2020–21 (अनन्तिम)	
1.	गौतमबुद्ध नगर	136585.93	गौतमबुद्ध नगर	135320.81
2.	आगरा	60675.30	आगरा	62025.23
3.	लखनऊ	60364.25	लखनऊ	61193.63
4.	प्रयागराज	58230.48	प्रयागराज	58489.58
5.	मेरठ	53972.64	मेरठ	51211.86

सकल घरेलू जिला उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले निम्नतम् 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है—

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष 2019–20(संशोधित)		वर्ष 2020–21(अनन्तिम)	
1.	श्रावस्ती	4723.94	श्रावस्ती	4940.85
2.	चित्रकूट	6213.39	चित्रकूट	6618.16
3.	संत कबीर नगर	7360.20	संत कबीर नगर	7504.70
4.	ओरैया	8194.82	ओरैया	8406.24
5.	महोबा	9679.61	महोबा	8849.25

## 2.3 उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

### 2.3.1 सामान्य परिचय

- आय-व्ययक (बजट) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन-देन के लेखा संपरीक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रहता है।
- आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देन के आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक (बजट) अनुमानों के विभिन्न मदों को राष्ट्रीय साँचिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध कराई गई क्रियाविधि के अनुसार पुनः वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- आर्थिक वर्गीकरण में सरकारी ब्यौरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्यात्मक वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बांटकर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक के समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक प्रशासन का विभिन्न सेक्टरों यथा राज्य आय, पूँजी निर्माण आदि में अंश का आंकलन किया जाता है।

### 2.3.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1965–66 से आर्थिक वर्गीकरण तथा वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक वर्गीकरण किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग राष्ट्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

### 2.3.3 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2021–22 से प्राप्तियों तथा व्यय की 11 पुस्तिकाओं के कोडिंग का कार्य कराने के उपरान्त वर्ष 2019–20 (वास्तविक), वर्ष 2020–21 (पुनःरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2021–22 (आय-व्ययक) के संकलन का कार्य पूर्ण कराया गया।
- वर्ष 2019–20 (वास्तविक) एवं वर्ष 2020–21 (पुनःरीक्षित) एवं 2021–22 (आय-व्ययक) की लेखा तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय साँचिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयीं।
- वार्षिक प्रतिवेदन ‘उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2021–22’ तैयार करने के उपरान्त प्रकाशित कराकर नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।

### 2.3.4 मुख्य परिणाम

#### आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2019–20	पुनःरीक्षित अनुमान 2020–21	आय-व्ययक अनुमान 2021–22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चालू व्यय	28507376	29776468	35847996
1.1	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	11858156	12903619	16598527
1.2	साधारण ऋण पर ब्याज	3350917	3633284	4143374
1.3	राज सहायतायें	2360015	2787699	3170812
1.4	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	9232182	8596488	10024414
1.5	स्थानीय निकायों को चालू कार्य	1706106	1855378	1910869

	संचालन के लिये अन्तरण			
<b>2</b>	<b>पूँजीगत व्यय</b>	<b>9131069</b>	<b>10580463</b>	<b>17441535</b>
2.1	कुल स्थिर पूँजी निर्माण	4669322	5890246	9958007
2.2	स्टॉकों में शुद्ध वृद्धि	403960	-4116	353
2.3	पूँजीगत अन्तरण	695914	1082466	2242558
2.4	पूँजी शेयरों में निवेश	909811	958439	1163344
2.5	ऋण एवं अग्रिम	212001	163685	190419
2.6	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	2240061	2489743	3886854
<b>योग</b>		<b>37638445</b>	<b>40356931</b>	<b>53289531</b>

### आय-व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2019–20	पुनःरीक्षित अनुमान 2020–21	आय-व्ययक अनुमान 2021–22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य सेवायें	8825824	9485837	11481711
2.	सुरक्षा	10762	11033	14007
3.	शिक्षा	6665725	6532128	8425712
4.	स्वास्थ्य	2159597	2202032	3265455
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें	2262501	2832289	3240753
6.	आवास एवं सामुदायिक सेवायें	2059334	3146199	4590599
7.	सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	187011	218739	294835
8.	आर्थिक सेवायें	9871347	9798084	13934360
9.	अन्य सेवायें	5596344	6130590	8042099
<b>योग</b>		<b>37638445</b>	<b>40356931</b>	<b>53289531</b>

## 2.4 उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

### 2.4.1 सामान्य परिचय—

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष “उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा” नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है जोकि बजट सत्र के अन्तर्गत नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है। उक्त प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य-कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। प्रादेशिक आर्थिक समीक्षा में विशेष रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि, वन एवं पर्यावरण, पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रमशक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम, खनिज एवं विद्युत तथा सतत विकास लक्ष्य (एस०डी०जी०) आदि से सम्बन्धित विश्लेषण किया जाता है, साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाती है।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा—चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, उद्योग, वन, खनिज, समाज कल्याण, विद्युत आदि एवं केन्द्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशनों से प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। पत्रिका को [www.updes.nic.in](http://www.updes.nic.in) पर अवलोकित किया जा सकता है।

#### **2.4.2 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य—**

1—‘उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2021–22 तैयार कर प्रकाशित करायी गयी।

वर्ष 2021–22 की आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित 18 अध्यायों में प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों की समीक्षा की गयी है—

- 1 राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त
- 2 प्रादेशिक विकास में चुनौतियां तथा रणनीति
- 3 बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
- 4 कृषि
- 5 वन एवं पर्यावरण
- 6 पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
- 7 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
- 8 खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजानिक वितरण प्रणाली
- 9 ग्राम्य विकास एवं पचांयत सशक्तिकरण
- 10 औद्योगिक विकास
- 11 सेवा क्षेत्र
- 12 अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार
- 13 पर्यटन एवं नागरिक विमानन
- 14 शिक्षा
- 15 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
- 16 समाज कल्याण
- 17 श्रमशक्ति एवं सेवा योजना
- 18 सतत् विकास

उक्त के आधार पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2021–22 प्रकाशित करायी गयी।

#### **2.5 सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान (Gross Fixed Capital Formation(GFCF))**

##### **2.5.1 सामान्य परिचय**

आर्थव्यवस्था का विकास मुख्य रूप से पूँजी निवेश (investment) की दर पर निर्भर करता है जिसका आगणन सकल पूँजी निर्माण से किया जाता है। सकल पूँजी निर्माण के अनुमान में सकल स्थायी पूँजी निर्माण तथा स्टाक में परिवर्तन सम्मिलित होता है। राज्य स्तर पर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के ही अनुमान तैयार किये जाते हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के विकास की योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक संकेतक है।

##### **2.5.2 पृष्ठभूमि एवं कार्यविधि**

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्रियाविधि के अनुसार तैयार कराये जा रहे हैं।
- राज्य आय अनुमानों की ही भांति सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 11 खण्डों हेतु तैयार किये जाते हैं।
- यह अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के लिए तैयार किये जाते हैं। अधिक्षेत्रीय(Supra regional) क्षेत्र के अनुमान राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकाय के लिए अलग-अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान आय-व्ययक अभिलेखों से आंकित किये जाते हैं।

- गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान तैयार करने हेतु सार्वजनिक उद्यम बूजो से प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाती है। तदोपरान्त् प्रत्येक प्रतिष्ठान से उनकी बैलेंस शीट प्राप्त करके उसका विश्लेषण कर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद, जल संस्थान, जिला पंचायत, नगर पंचायत एवं प्रत्येक जिले से चयनित ग्राम पंचायतों के आय-व्ययकों का वर्गीकरण करके स्थायी पूँजी निर्माण के आँकड़े तैयार किये जाते हैं।
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान विभिन्न समाजार्थिक एवं उद्यम सर्वेक्षणों के अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों/परिणामों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु अलग-अलग तैयार किये जाते हैं।

### **2.5.3 कैलेंडर**

प्रदेश के आय-व्ययक(बजट) में दिये गये वास्तविक व्यय के अनुक्रम में उस वर्ष के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान 31 मार्च तक तैयार किये जाते हैं। इस प्रकार उक्त के आधार पर वर्ष 2019–20 के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये गये।

### **2.5.4 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य**

- उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के ब्योरेवार अनुमान वर्ष 2021–22 खण्ड 5 के सभी 10 भागों से वर्ष 2019–20 के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत पूँजी निर्माण से सम्बन्धित मदों में हुए खर्चों का संकलन किया गया।
- वर्ष 2019–20 में प्रदेश में कार्यरत कुल 40 गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनकी बैलेंस शीट प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर संकलन कार्य किया गया।
- स्थानीय निकायों के वर्ष 2019–20 के आय-व्ययक का विश्लेषण कर संकलन किया गया।

## **2.6 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय सम्बन्धी आँकड़े—**

स्थानीय निकायों से प्राप्त आँकड़ों का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है—

### **(1) स्थानीय निकायों के आय-व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य—**

प्राप्त आँकड़ों से लेखा तालिकाएँ तैयार कर राष्ट्रीय सॉखिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

### **(2) स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े –**

प्राप्त आँकड़ों से “उ0प्र0 के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े” प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

### **2.6.1 स्थानीय निकायों के आँकड़ों सम्बन्धी कार्य—**

#### **2.6.1.1 उद्देश्य**

राज्य की अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के सन्दर्भ में तैयार किये जाने वाले राज्य आय अनुमानों विशेष रूप से निर्माण, जल सम्पूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवा खण्डों के अनुमान तथा जिला आय अनुमानों, सकल स्थायी पूँजी निर्माण के आंकलन तैयार करने हेतु स्थानीय निकायों के आँकड़ों की आवश्यकता होती है।

#### **2.6.1.2 पृष्ठभूमि**

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार आदि से सम्बन्धित सूचना/आँकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 1967–68 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तत्सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 1983–84 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सॉखिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों के आय-व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया था।

#### **2.6.1.3 विषय क्षेत्र**

स्थानीय निकायों के आय-व्ययक आँकड़े सम्बन्धी कार्य हेतु प्रदेश की समस्त नगर निगमों (17), नगर पालिका परिषदों (200), जिला पंचायतों (75) एवं जल संस्थानों (12) छावनी परिषदों (13) नगर

पंचायत (500), समस्त जनपदों से चयनित ग्राम पंचायतों (4623) के आँकड़े एकत्रित कर राज्य स्तरीय लेखा तालिकायें तैयार की जाती हैं (कोष्ठक में वर्ष 2020–21 की विद्यमान संख्या दर्शायी गयी है)।

#### 2.6.1.4 कार्यविधि

स्थानीय निकायों से आय-व्यय सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने हेतु प्रभाग स्तर पर अनुसूची निर्धारित की गयी हैं। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त की जाती है। ग्रामीण व शहरी समस्त निकायों को सूचना एक ही अनुसूची पर प्राप्त कर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है। प्राप्त आँकड़ों का प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य करके तालिकाओं को राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ‘उत्तर प्रदेश के आय व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े’ ‘नामक वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है।

#### 2.6.1.5 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय-व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2019–20 की समस्त राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी तथा वर्ष 2019–20 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया गया।
- स्थानीय निकायों के आय-व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2020–21 हेतु आँकड़े समस्त 75 जनपदों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों से तालिकाएं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

#### 2.6.1.6 मुख्य परिणाम

- वर्ष 2019–20 में स्थानीय निकायों की कुल आय 1671547.15 लाख रु0 रही जबकि विगत वर्ष 2018–19 में कुल आय 1604835.15 लाख रु0 थी। इस प्रकार वर्ष 2019–20 में आय में गत वर्ष की तुलना में लगभग 4.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- कुल आय में राजस्व कर से आय 165006.65 लाख रु0 रही। करेत्तर राजस्व का योगदान 468453.28 लाख रु0 तथा अनुदान अंशदान व ऋण से आय 1038087.22 लाख रु0 था। कुल आय में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा अनुदान का प्रतिशत अंश क्रमशः 9.87, 28.03 तथा 62.10 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2018–19 में स्थानीय निकायों का कुल व्यय 1585665.42 लाख रु0 था जो कि वर्ष 2019–20 में 03.06 प्रतिशत घटकर 1537181.26 लाख रु0 हो गया।
- कुल व्यय में विविध व्यय 49.36 प्रतिशत, सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी व्यय पर 34.24 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन एवं राजस्व एकत्रीकरण पर व्यय 12.30 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य पर 3.18 प्रतिशत, सुरक्षा एवं सुविधा पर 0.59 प्रतिशत तथा शिक्षा पर व्यय 0.33 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2019–20 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कुल 517986.18 लाख रु0 पूँजी निर्माण पर व्यय किया गया इस व्यय में प्रमुख रूप से नगर निगमों द्वारा 180030.60 लाख रु0 व्यय किये गये जो कि कुल पूँजी निर्माण पर व्यय का 34.76 प्रतिशत है।
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2020 को समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 149310 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें सर्वाधिक 71219(47.70 प्रतिशत), कर्मचारी स्वच्छता सेवा में 64362 (43.10 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य सेवा में एवं 13729 (9.19 प्रतिशत) कर्मचारी जल सम्पूर्ति सेवा में कार्यरत थे।

### 2.7–स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैलेंस शीट के विश्लेषण सम्बन्धी कार्य—

#### 2.7.1 पृष्ठभूमि

राज्य आय अनुमान तैयार करने हेतु निर्माण खण्ड, अन्य सेवाएं व सार्वजनिक प्रशासन खण्ड के आगणन हेतु प्रभाग द्वारा यह कार्य वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वायत्तशासी संस्थाओं व 30 जनपदों के 32 विकास प्राधिकरणों के आय-व्ययक सम्बन्धी आँकड़ों के विश्लेषण का कार्य किया जाता है। वर्ष 2016–17 की 54 स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेंस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा उनकी अन्तिम लेखा तालिकाएं तैयार कर, वर्ष 2017–18 की 70 स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेंस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण कार्य पूर्ण कर, वर्ष 2018–19 की 103 स्वायत्तशासी व 32 विकास प्राधिकरण की बैलेंस शीट का परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा वर्ष 2019–20 की 94

स्वायत्तंत्रशासी संस्थाओं व 32 विकास प्राधिकरण की बैलेंस शीट का परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा वर्ष 2020–21 की 101 स्वायत्तंत्रशासी संस्थाओं व 32 विकास प्राधिकरण की बैलेंस शीट का परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर उनकी अन्तिम लेखा तालिकाएं तैयार कर राष्ट्रीय साँचियकीय कार्यालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित करने का कार्य किया गया। वर्तमान में वर्ष 2021–22 की 95 स्वायत्तंत्रशासी संस्थाओं व 32 विकास प्राधिकरण की बैलेंस शीट के विश्लेषण के कार्य हेतु निर्देश प्रेषित।

\* \* \* \* \*

## अध्याय—3

# राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

### 3.0 पृष्ठभूमि—

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा०प्र०स०) का गठन वर्ष 1950 में साँख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित समाजार्थिक क्षेत्र के आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। इन संग्रहीत आँकड़ों की उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति-निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय (एन०एस०ओ०), भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आँकड़े एकत्र करा रहा है।

### 3.1 क्षेत्रीय सर्वेक्षण अनुभाग

राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय (एन०एस०ओ०) द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाइयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र में आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान किया जाता है। रा०प्र०स० के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं तदर्थ सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यों को क्षेत्रीय सर्वेक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

#### 3.1.1 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

कोविड-19 के दृष्टिगत राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय (एन०एस०ओ०), भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण प्रारम्भ न कराये जाने के कारण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित नहीं कराया गया। यद्यपि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण-78वीं आवृत्ति के अवशेष कार्य के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों से वैलीडेटेड आँकड़ों को प्राप्त कर जाँचोपरान्त कुल 1684 इकाईयों के वैलीडेटेड आँकड़ों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिनांक 05.08.2021 को विश्लेषण अनुभाग (रा०प्र०स०) एवं संगणक अनुभाग को उपलब्ध कराया गया।

### 3.2 विश्लेषण अनुभाग

क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

#### 3.2.1 कार्य एवं दायित्व

प्रभाग मुख्यालय पर विश्लेषण अनुभाग को मुख्यतः रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों का सारिणीयन पूर्व वैलीडेशन, समंक विधायन, सारिणीयन, रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन आदि का कार्य निर्धारित है।

#### 3.2.2 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

रा०प्र०स० 75वीं आवृत्ति के केन्द्रीय (ग्रामीण 790+नगरीय 579) 1369 प्रतिदर्शों तथा राज्य (ग्रामीण 796+नगरीय 580) 1376 प्रतिदर्शों के आँकड़ों की पूलिंग पर आधारित निम्न रिपोर्टों का प्रकाशन निर्धारित अवधि में सम्पन्न कराया गया।

- रा.प्र.स. 75वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.0 (सामाजिक उपभोग : स्वास्थ्य)
- रा.प्र.स. 75वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.2 (सामाजिक उपभोग : शिक्षा)

\*\*\*\*\*

## अध्याय—4

### डेटा बैंक

#### 4.0 पृष्ठभूमि—

प्रभाग मुख्यालय स्तर पर डेटा बैंक अनुभाग स्थापित है, जिसके द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न एजेंसियों से द्वितीयक ऑकड़े प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रकाशनों यथा—उ0प्र0 एक झलक, साँचिकीय डायरी, साँचिकीय सारांश, जिलेवार विकास संकेतक, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक ऑकड़े आदि प्रति वर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। साथ ही आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रकाशन भी प्रकाशित किये जाते हैं। प्रकाशित प्रकाशनों में साँचिकीय डायरी एवं उ0प्र0 एक झलक प्रदेश को विधानमण्डल में माननीय सदस्यों को वितरित की जाती है।

प्रदेश स्तर पर साँचिकीय कार्यों में समन्वय हेतु शासनादेश सं0 2 / 39(3)—नियोजन विभाग (क) दिनांक: लघुनं० 8, अगस्त, 1969 द्वारा उ0प्र0 साँचिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस समिति के अधीन विभिन्न विषयों पर 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। समिति के संयोजक आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक तथा सदस्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं।

#### 10 उपसमितियाँ निम्न हैं—

- 1—भूमि उपयोगिता, कृषि एवं वन
- 2—उद्योग, खनिज एवं श्रम व रोजगार
- 3—सड़क एवं परिवहन
- 4—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- 5—पशुपालन एवं मत्स्य
- 6—सिंचाई, लघु सिंचाई एवं विद्युत
- 7—बैंकिंग, ज्याइंट स्टोक कम्पनी एवं सहकारिता
- 8—शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा
- 9—साँचिकीय डायरी
- 10—क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक

उक्त बिन्दुवार 10 उपसमितियों में से कम संख्या 1—9 तक डेटा बैंक अनुभाग द्वारा बैठक आहूत की जाती है तथा बिन्दु 10 से सम्बन्धित बैठक राज्य आय अनुभाग द्वारा आहूत की जाती है। इन उपसमितियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सदस्य हैं। इन उपसमितियों का मुख्य कार्य सम्बन्धित विभागों से साँचिकीय ऑकड़े प्राप्त कर उनकी विभिन्न बैठकों में आम सहमति से पारित किया जाना है ताकि सभी स्तर पर ऑकड़ों में भिन्नता न रहने पाये और साँचिकीय कार्यों में समन्वय बना रहे।

उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा ग्रामवार आधारभूत ऑकड़े संग्रहित किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना प्रत्येक ग्राम से सुविधा की दूरी के अनुसार एकत्रित कर विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली साँचिकीय पत्रिकाओं में उक्त ऑकड़ों का उपयोग किया जाता है। जनपदीय साँचिकीय पत्रिकाओं के आधारभूत ऑकड़ों पर प्रभाग स्तर पर अन्तर्जनपदीय ऑकड़े (वार्षिक प्रकाशन) प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन में सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की जनपदवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/प्रदेश स्तर के ऑकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

#### 4.1 कार्य एवं दायित्व

प्रभाग मुख्यालय स्तर पर गठित डेटा बैंक अनुभाग का मुख्य कार्य विकास सम्बन्धी द्वितीयक ऑकड़ों का संग्रहण कर प्रकाशन के रूप में या सॉफ्टकापी में संरक्षित करना है। साथ ही शासन, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों की माँग के अनुरूप उन्हें अपेक्षित ऑकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं।

## 4.2 अनुभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मुख्य प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण

### 4.2.1 साँच्चिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश

साँच्चिकीय डायरी उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बन्धित ऑकड़ों का वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1968 से प्रति वर्ष साँच्चिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है। उक्त प्रकाशन में विभिन्न प्रमुख ऑकड़ों को 24 अध्यायों के अन्तर्गत 148 तालिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। साथ ही मुख्य—मुख्य मदों को इस प्रकाशन में ग्राफ/चार्ट से भी प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकाशन में तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से भी ऑकड़े प्रदर्शित किये जाते हैं। साँच्चिकीय डायरी का प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग—अलग किया जाता है।

### 4.2.2 उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में)

यह प्रकाशन वर्ष 1991 से नियमित रूप से किया जा रहा है। इससे पूर्व इस प्रकाशन को फोल्डर के रूप में प्रकाशित किया जाता था। प्रदेश में विकास के महत्वपूर्ण मदों को एक दृष्टि में प्रदर्शित करने के लिये इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में उ0प्र0 के महत्वपूर्ण मदों के तीन वर्षों के ऑकड़े होते हैं तथा द्वितीय खण्ड में भारत सरकार एवं उ0प्र0 के तुलनात्मक संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम खण्ड में 15 विभागों/सेक्टरों की सूचनाएं तथा द्वितीय खण्ड में 47 मदों के संकेतांक सम्मिलित हैं। उ0प्र0 एक झलक (ऑकड़ों में) का अंग्रेजी भाषा में रूपान्तर वर्ष 2009 से प्रारम्भ किया गया है।

### 4.2.3 जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश

“उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक” नामक प्रकाशन वर्ष 1978 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशन से अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का बोध होता है। वर्ष 2008 से इस प्रकाशन का नाम बदलकर ‘जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश’ करते हुए प्रकाशन को द्विभाषी कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में उपलब्ध अधुनात्त संकेतकों के साथ ही आधार वर्ष के भी संकेतक दिये गये हैं। इस प्रकाशन को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुल 125 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, जो मुख्यतया जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उद्योग, बैंकिंग, वित्त तथा सहकारिता, रोजगार एवं मानवशक्ति तथा आय पर आधारित हैं। इसके द्वितीय भाग में प्रथम भाग के मदों पर ही आधारित 46 महत्वपूर्ण मदों के संकेतकों पर आधारित उच्चतम एवं निम्नतम मान वाले पाँच—पाँच जनपदों को चिह्नित करते हुए उनके विकास संकेतकों को प्रकाशित किया जाता है, जो जनपदों एवं सम्भागों की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं उनमें विकास के स्तर को पूर्ण रूप से परिलक्षित करते हैं।

### 4.2.4 साँच्चिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश

साँच्चिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश” नामक प्रकाशन वर्ष 1961 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1986 से इसे केन्द्रीय साँच्चिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर आधारित, संशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस प्रकाशन की अधिकांश तालिकाओं में विगत वर्षों की राज्यस्तरीय सूचनाओं के साथ ही उपलब्ध अधुनात्त वर्ष की जनपदवार सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकाशन में तीन खण्डों सामाजिक साँच्चिकी, आर्थिक साँच्चिकी एवं अन्य साँच्चिकी के अन्तर्गत कुल 35 अध्याय दिये जाते हैं। इसमें समाजार्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य आय, कृषि, पशुपालन, परिवहन, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, वित्त तथा सार्वजनिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि सम्बन्धी ऑकड़ों का समावेश किया जाता है।

### 4.2.5 अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक ऑकड़े

अन्तर्राज्यीय विषमताओं का बोध कराने के उद्देश्य से “अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक ऑकड़े” नामक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रकाशन दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में भारत के 28 प्रमुख व 8 केन्द्रशासित राज्यों के ऑकड़ों के साथ—साथ राष्ट्रीय स्तर के भी ऑकड़ों का समावेश किया गया है, जिनसे प्रमुख राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से प्रदेश के विकास का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

इस प्रकाशन हेतु अपेक्षित ऑकड़े भारत सरकार के सम्बन्धित विभिन्न विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्यों के साँच्चिकीय ब्यूरो तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

#### **4.2.6 अन्तर्जनपदीय ऑकड़े**

प्रदेश के ग्रामों में उपलब्ध आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं एवं उनकी ग्रामों से दूरी के ऑकड़े जो प्रतिवर्ष जनपदीय साँख्यिकीय पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं, उन्ही सूचनाओं के आधार पर प्रभाग द्वारा वर्ष 1996 से इस प्रकाशन को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2015 से यह प्रकाशन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाने लगा है तथा इसी वर्ष से इसमें भाग-2 समिलित किया गया है जिसमें सम्भागवार रैंकिंग प्रदर्शित की गयी है।

#### **4.2.7 जनपद एवं मण्डल की साँख्यिकीय पत्रिका**

यह प्रकाशन जनपद स्तर पर वर्ष 1976 एवं मण्डल स्तर पर वर्ष 1980 से प्रारम्भ किये गये। इस प्रकाशन में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के ऑकड़े प्रकाशित किये जाते हैं यथा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, कृषि, पशुगणना तथा कृषि गणना, पशुपालन तथा मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, सामान्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, परिवहन एवं संचार, संस्थागत वित्त, जल सम्पूर्ति, पेयजल, भाव तथा अन्य विविध विषयों के ऑकड़े एवं संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रारम्भ में यह प्रकाशन मैन्युअली प्रकाशित किये जाते थे। वर्ष 1995 से यह पत्रिका वेब बेस्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार 1995 से 2020 तक की साँख्यिकीय पत्रिकायें प्रभाग की वेबसाइट [updes.up.nic.in](http://updes.up.nic.in) इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।

#### **4.2.8 जनपद एवं मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा**

मण्डल एवं जिला समाजार्थिक समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1980 से वर्षानुवर्ष तैयार करना प्रारम्भ किया गया है। इन प्रकाशनों में कुल 17 अध्याय निर्धारित हैं और प्रत्येक अध्याय के अन्तर्गत मदों का भी निर्धारण किया गया है। इस प्रकाशन में जनपद की अर्थव्यवस्था की विस्तृत विवेचना के साथ ही प्रमुख विषयों यथा कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन का तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इन प्रकाशनों में प्रमुख विषयों को ग्राफ/चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है।

#### **4.2.9 विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका**

विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें चार अध्यायों के अन्तर्गत प्रथम अध्याय में विकास खण्ड एक दृष्टि में, द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण विकास खण्ड संकेतक, तृतीय अध्याय में विकास खण्ड का आर्थिक कार्य कलाप तथा चतुर्थ अध्याय में राजस्व ग्राम एक दृष्टि में से सम्बन्धित ऑकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

#### **4.2.10 विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा**

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष 2003–04 से कराया जा रहा है। यह प्रकाशन भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में 16 अध्याय हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थव्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने एवं साथ ही प्रमुख विषयों, जनसंख्या आर्थिक स्थिति, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन विद्युत एवं खनिज, वित्तीय संस्थायें, सड़क परिवहन एवं संचार, शिक्षा, सामाजिक सेवायें, स्वस्थ, पेयजल, पर्यटन एवं नियोजन के बारे में अधुनान्त सूचनायें दी जाती हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर की प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है।

#### **4.2.11 ग्रामवार आधारभूत ऑकड़ों का संग्रहण**

ग्राम स्तर पर विकास योजना संरचना हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी ऑकड़े निरान्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से वर्ष 1973 से प्रदेश के समस्त आबाद ग्रामों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा उस ग्राम के महत्वपूर्ण ऑकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य विकास खण्डों में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के तैनात सहायक विकास अधिकारी (सॉ.) के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया गया। इनके संग्रहण हेतु रूप पत्र निर्धारित है, जिसके खण्ड-1, में परिचयात्मक विवरण तथा खण्ड-2 से 15 तक में जनगणना सम्बन्धी सूचनायें, पशुगणना, कृषि गणना, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, यातायात एवं संचार, विविध अवस्थापना सुविधा, विपणन भण्डार गृह, ऋण सुविधायें, पारिवारिक उद्योग, व्यवसाय, कृषि साँख्यिकी तथा मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल समिलित है। ग्राम स्तरीय ऑकड़े प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संग्रह किये जाते हैं। इन ऑकड़ों के आधार पर जिला साँख्यिकीय पत्रिका की तालिका-64, सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या तैयार की जाती है।

### **4.3.वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य—**

#### **4.3.1 प्रभाग स्तर पर तैयार प्रकाशन**

- 1— उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में), 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
- 2— साँचियकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
- 3— जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश, 2021
- 4— साँचियकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, 2021
- 5— अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक ऑकड़े 2020

#### **4.3.2 मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर प्रकाशित प्रकाशन ।**

- 1—मण्डलीय साँचियकीय पत्रिका, 2021
- 2—मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा, 2021
- 3—जनपदीय साँचियकीय पत्रिका, 2021
- 4—जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, 2021
- 5—विकास खण्ड की साँचियकीय पत्रिका, 2021
- 6—विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा, 2021

### **4.4 ग्राम्य विकास ऑकड़ा**

#### **4.4.1 पृष्ठभूमि**

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचल के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम यथा—अवस्थापना सम्बन्धी, रोजगार परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इनकी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रभाग स्तर पर “सामुदायिक विकास अनुभाग” गठित किया गया जिसे बाद में ग्राम्य विकास ऑकड़ा अनुभाग कर दिया गया। जिसका कालान्तर में डेटा बैंक अनुभाग में संविलियन कर दिया गया।

आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास के पत्र संख्या 7137/38-2-335/79 दिनांक 25.9.1981 एवं पत्र संख्या-80/प्र०बो०-23/92 दिनांक 13-3-2000 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में संचालित विकास कार्यों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा तैयार की जाती थी। वर्तमान में ग्राम्य विकास कार्यों के मासिक प्रतिवेदन में नई योजनाओं का समावेश कर पुरानी बन्द हो चुकी योजनाओं को हटाते हुए उपरोक्तानुसार ही नये डेटा इन्ड्री सॉफ्टवेयर पर ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

#### **4.4.2 प्रतिवेदन सम्प्रेषण समय सारणी**

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या 80/प्र०बो०-23/92 (अर्थ एवं संख्या) दिनांक 13.03.2000 द्वारा उक्त का सम्प्रेषण सुनिश्चित कराने हेतु निम्न समय सारणी बनायी गयी, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य हो रहा है।

1—	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित मास का अन्तिम कार्य दिवस
2—	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 5 तारीख तक
3—	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 10 तारीख तक

#### **4.4.3 निरीक्षण / परिनिरीक्षण**

प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विकास खण्डों का निरीक्षण एवं ग्रामों में जाकर कार्यक्रमों की प्रगति ज्ञात करने हेतु स्थलीय सत्यापन किया जाता है। आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 96/प्र0बो-30/81 दिनांक 17.01.1985 द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम भाग में विकास खण्ड में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा द्वितीय भाग में सहायक विकास अधिकारी (सा.) द्वारा रखे जाने वाले साँचियकीय अभिलेखों के निरीक्षण तथा तृतीय भाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के निरीक्षण तथा ग्राम में हुये विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों के मानक निर्धारित करने हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र 182/प्र0बो-31/92 दिनांक 09.08.2000 के अनुसार 6 से अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो विकास खण्डों के निरीक्षण तथा 6 विकास खण्डों तक के जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति माह कम से कम एक विकास खण्ड के निरीक्षण (प्रत्येक विकास खण्ड के वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण) निर्धारित है। इसी प्रकार मण्डलीय उप निदेशक हेतु प्रति माह 3 निरीक्षण का नार्म निर्धारित किया गया है एवं निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है।

उक्तानुसार प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (साँचियकीय), अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या) द्वारा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण/फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण/फर्जी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार तथा इसकी सूचना समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाती है। इन समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इनके निरीक्षणों को श्रेणीबद्ध भी किया जाता है।

#### **4.5 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य**

**4.5.1 क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षण—** वर्ष 2021–22 के मध्य विभिन्न मण्डलों से उपनिदेशकों एवं अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा प्रभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सामुदायिक विकास कार्यों के निरीक्षण पूर्ण किये गये। जिन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम निरीक्षण किये गये उनको भविष्य में लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत निरीक्षण करने हेतु पत्र निर्गत किये गये।

**4.5.2 ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन—** वर्ष 2021–22 के मध्य प्रतिवर्ष निर्धारित 12 प्रगति प्रतिवेदन के सापेक्ष जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशकों को प्रेषित की गयीं तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की गयी। ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट के नये सॉफ्टवेयर को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है। ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट 2021–22 की सूचना संशोधित रूपपत्र पर एकत्र कर नये सॉफ्टवेयर पर तैयार कर विभागों को प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है।

**4.5.3 ग्राम्य विकास कार्य—** ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशकों को प्रेषित की जाती हैं तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की जाती हैं।

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों शामली, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, तथा सन्तरविदास(भदोही) नगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है। इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है।

**मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/सहायक विकास अधिकारी  
(साँ०) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या—2021–22**

क्र०सं०	वर्ष 2021–22 में निरीक्षणों की कुल संख्या	ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार इकाई संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	फर्जी
1	2	3	4	5	6
1	1769	57965	57965	—	—

वर्ष 2021–22 में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है —

क्र०सं०	अधिकारी का पदनाम	वर्ष 2021–22 में किये गये निरीक्षणों की संख्या	
		लक्ष्य	पूर्ति
1—	उपनिदेशक	537	219
2—	अर्थ एवं संख्याधिकारी	2628	1032
3—	सहायक विकास अधिकारी (साँ०)	1008	518

- 1— अलीगढ़ मण्डल में उपनिदेशक का पद स्वीकृत नहीं है।
- 2— उक्त रिपोर्ट वर्तमान में जनपद/मण्डलीय अधिकारियों के भरे पदों के सापेक्ष तैयार की गयी है।
- 3— प्रभाग मुख्यालय पर सहा० वि० अधि० (साँ०) के निरीक्षणों का संकलन नहीं किया जाता है तथा लक्ष्य का निर्धारण मुख्यालय स्तर से नहीं होता है।

\* \* \* \* \*

## अध्याय—5

### भाव साँख्यिकी

#### 5.0 पृष्ठभूमि—

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भावों से सम्बन्धित आँकड़ों के संग्रहण, परिनिरीक्षण, संकलन तथा भाव साँख्यिकी प्रेषण के साथ-साथ नियमित सूचकांकों को तैयार करने और उनके रखरखाव का कार्य प्रभाग द्वारा किया जाता है।

#### 5.1 कार्य एवं दायित्व—

भाव साँख्यिकी सम्बन्धी कार्यों को सामान्यतया दो भागों में बँटा जा सकता है।

1. भाव व मजदूरी दरों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य
2. भाव व मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

यह दोनों ही कार्य प्रभाग के स्थापना काल से ही चले आ रहे हैं। इसमें से भावों एवं मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है, जबकि सभी जनपदों के भाव व मजदूरी दरों के संकलन एवं सूचकांक बनाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

भाव संकलन का उद्देश्य भावों में हो रहे उत्तार-चढ़ाव का अध्ययन करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना होता है। सूचकांक का उद्देश्य वर्ष विशेष की तुलना में हुए भावों/दरों के परिवर्तन की माप करना है। सूचकांक के निर्माण के लिए आधार वर्ष के भाव के साथ-साथ वर्तमान भाव/दर का होना आवश्यक है ताकि भावों/दरों में हुए उत्तार-चढ़ाव की प्रतिशत वृद्धि एवं हास की जानकारी सम्भव हो सके।

भाव व मजदूरी दरों के संग्रह व सूचकांक के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है—

#### 5.2. भावों/मजदूरी दरों का एकत्रीकरण—

##### 5.2.1 थोक भाव (कृषि व अकृषीय)

- कृषि विषयन निदेशालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 63 मण्डियों से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) के आँकड़े संग्रह प्रपत्र परिशिष्ट 1 व 3 पर प्राप्त किये जाते हैं।
- कृषि विषयन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश की 48 प्रमुख मण्डियों से 19 कृषीय वस्तुओं के थोक भाव प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) संग्रह कराये जाते हैं।
- कृषि मदों के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को राज्य कृषि विषयन संगठन से एकत्र किये जाते हैं तथा अकृषीय मदों के थोक भाव फर्मों एवं वाणिज्यिक संस्थानों से संग्रह किये जाते हैं। इनका उपयोग थोक भाव सूचकांक तैयार करने, राज्य व जिला आय अनुमान तैयार करने के साथ-साथ भारत सरकार को भी उनकी माँग के अनुरूप भेजा जाता है।

##### 5.2.2 ग्रामीण फुटकर भाव

यह भाव 99 चयनित मदों के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से प्रत्येक माह प्रथम बाजार दिवस को एकत्र कराये जाते हैं। इनका उपयोग ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

##### 5.2.3 नगरीय फुटकर भाव

यह भाव 101 चयनित मदों के लिये प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये जाते हैं। इनका उपयोग नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

##### 5.2.4 नगरीय अमानी मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक की मजदूरी की दरें संग्रहित की जाती हैं। श्रमिक की मजदूरी की दरें जनपद के प्रत्येक नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम में चयनित दो अड्डों से जिनमें

प्रथम अडडे से माह के प्रथम शनिवार को एवं द्वितीय अडडे से आगामी सोमवार को संग्रह करायी जाती हैं। इनका उपयोग नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार किये जाने में किया जाता है।

### 5.2.5 ग्रामीण मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक (पुरुष/महिला), दर्जी, नाई, तेल की पेराई, ईट की पथाई व चरवाहा की मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह दरें प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह करायी जाती है। इनका उपयोग ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है। यह दरें प्रत्येक माह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती हैं। साथ ही साथ कृषि साँखियकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी माँग के अनुरूप भेजी जाती हैं।

### 5.2.6 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव

यह भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से माह के प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर ई-मेल द्वारा प्रभाग मुख्यालय पर मँगाये जाते हैं। इन भावों में से 48 वस्तुओं के भावों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा जिसमें गत सप्ताह, गत माह, गत त्रैमास एवं गत वर्ष के संगत सप्ताह के भावों से तुलनात्मक विवरण तैयार करके इससे सम्बन्धित समीक्षा शासन के प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0), वाणिज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराये जाते हैं।

### 5.2.7 भारत सरकार व अन्य विभागों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के भाव संग्रह का कार्य

- श्रम ब्यूरो शिमला के लिए पांच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए, आगरा एवं लखनऊ) से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजे जाते हैं।
- अर्थ एवं साँखियकीय सलाहकार, भारत सरकार को 06 केन्द्रों (कानपुर, आगरा, गोरखपुर, सहारनपुर, प्रयागराज एवं लखनऊ) से 57 खाद्य आवश्यक वस्तुओं के भाव प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव संग्रह कराकर सीधे प्रेषित किये जाते हैं।
- हापुड़ मण्डी के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह कराकर अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाते हैं।
- कानपुर नगर से बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर सहायक निदेशक (मार्केटिंग), इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, जिला गंगटोक, सिविकम को प्रेषित किये जाते हैं।
- कच्चे ऊन के 05 केन्द्रों (प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, झाँसी एवं रायबरेली) के थोक भावों को संग्रह कराकर निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किये जाते हैं।
- जनपद बरेली एवं खीरी से शीशम एवं साल के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर इनका मासिक औसत तैयार कर आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

## 5.3 भाव/मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

### 5.3.1 थोक भाव सूचकांक

यह सूचकांक कृषि व अकृषीय वस्तुओं पर आधारित थोक भाव सूचकांक है। सर्वप्रथम कृषि थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष 1957–58 एवं औद्योगिक थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष 1948 है। तत्पश्चात् दोनों सूचकांकों को सम्मिलित करते हुए इस सूचकांक का आधार वर्ष 1970–71 कर दिया गया है। पुनः इसे आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित कर दिया गया। आधार वर्ष 2004–05 पर 286 मदों के लिए राज्य स्तरीय थोक भाव सूचकांक तैयार कराये जाने का कार्य अप्रैल, 2010 से मार्च, 2016 तक किया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर अप्रैल 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

### 5.3.2 उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक नगरीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक है। यह सर्वप्रथम 1948 को आधार वर्ष मानकर 1956 से तैयार कराया जा रहा था, जो उपभोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन के कारण आधार वर्ष 1970–71 में परिवर्तित कर जुलाई 1981 से जून 2010 तक तैयार कराया गया। तदोपरान्त् आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक प्रत्येक माह

101 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया गया एवं प्रत्येक त्रैमास के अंत में प्रकाशित किया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है, जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कर प्रकाशित किया जा रहा है।

### 5.3.3 ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक भी मध्यम वर्गीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक है। सर्वप्रथम यह सूचकांक आधार कृषि वर्ष 1954–55 के आधार पर जनवरी 1956 से तैयार कराया गया। पुनः आधार वर्ष को बदलकर 1957–58 व तत्पश्चात् 1970–71 किया गया। उपभोग के स्वरूप में आये महत्वपूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक 99 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है, जिस पर जुलाई 2016 से सूचकांक लगातार प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

### 5.3.4 ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक

ग्रामीण व नगरीय मजदूरों के लिए तैयार कराये जाने वाला यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 पर त्रैमासान्त मार्च 1980 से तैयार कराया जाना प्रारम्भ किया गया था जिसे त्रैमासान्त जून 2010 तक बनाया गया। बाद में आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित करके इसे जुलाई 2008 से जून 2016 तक लगातार राज्य स्तरीय व आर्थिक क्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार कराया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिसपर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है। इस सूचकांक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक को शामिल किया गया है।

### 5.3.5 कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक

यह सूचकांक कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक व कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक का अनुपात है। यह सर्वप्रथम 1957–58 आधार वर्ष पर लगातार 1981–82 तक तैयार कराया गया उसके बाद आधार वर्ष परिवर्तित करके 1970–71 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर 2009–10 तक तैयार कराया गया, तत्पश्चात् वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आधार पर राज्य स्तरीय सूचकांक वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक एवं आधार वर्ष 2011–12 पर 2016–17 से नियमित रूप से तैयार कराया जा रहा है।

## 5.4 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

### 5.4.1 विभागीय प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

आलोच्य वर्ष में अब तक विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित थोक/फुटकर भाव संग्रह का कार्य किया गया —

- प्रदेश के 63 मण्डियों से कुल 73 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक भाव राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराये गये तथा इनका राज्य आय व जिला आय निर्माण में उपयोग किया गया।
- राज्य आय तथा जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने के सन्दर्भ में राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश की 48 प्रमुख मण्डियों से 19 कृषीय वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के 57 जिला केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में चयनित नगरीय बाजार से उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 101 वस्तुओं के नगरीय फुटकर भाव प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस को उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 99 वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- राज्य स्तर पर भाव के उत्तर चढ़ाव के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से दैनिक उपभोग की 67 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर इनमें से 47 वस्तुओं के भावों की प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषण समीक्षाएं तैयार कर प्रदेश के प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद), सचिव नियोजन, ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0), वाणिज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी।

#### **5.4.2 भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह**

- अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए, आगरा एवं लखनऊ) से 101 वस्तुओं के साप्ताहिक तथा 104 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा एकत्र कराकर सीधे श्रम व्यूरो शिमला को भेजे गये।
- अर्थ एवं साँख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 06 केन्द्रों (कानपुर, आगरा, गोरखपुर, सहारनपुर, प्रयागराज एवं लखनऊ) से 57 खाद्य आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संग्रह कराकर आर्थिक एवं साँख्यिकीय सलाहकार, अर्थ एवं साँख्यिकीय निदेशालय कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली—110001 को प्रेषित किये गये।
- हापुड मंडी से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ भेजे गये।
- कानपुर नगर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर ई—मेल के द्वारा भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, गंगटोक, सिक्किम को भेजे गये।
- प्रदेश के पाँच केन्द्रों यथा झाँसी, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही एवं रायबरेली से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादन थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये।
- जनपद बरेली एवं लखीमपुर खीरी से शीशम एवं साल के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर इनका मासिक औसत तैयार कर आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये।

#### **5.4.3 मजदूरी दरें**

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के आँकड़े नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन आँकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया जिसमें से समस्त 75 जनपदों के विकास खण्डवार मजूदरी की दरों के परिनिरीक्षित आँकड़े आर्थिक एवं साँख्यिकी सलाहकार भारत सरकार नई दिल्ली को प्रत्येक माह ई—मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी। साथ ही साथ कृषि साँख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी माँग के अनुरूप सूचना भेजी गयीं।
- प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों/नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चयनित दो—दो प्रमुख अड्डे/मुहल्ले से प्रथम अड्डे/मुहल्ले से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की तथा द्वितीय अड्डे/मुहल्ले से आगामी सोमवार को अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया।

#### **5.4.4 भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकांकों का प्रकाशन**

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12), उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) एवं उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता

भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) त्रैमासान्त मार्च 2021 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 के लिये प्रकाशित किये गये।

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 का औसत सूचकांक
समस्त	155.99	158.11	160.31	163.88
प्राथमिक	188.01	192.06	195.11	200.98
ईंधन व प्रकाश	203.60	206.73	210.18	212.69
विर्निमित	144.50	146.04	147.93	150.97

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 का औसत सूचकांक
<b>राज्य स्तरीय</b>				
1.खाद्य, पेय द्रव्य और तम्बाकू	170.22	172.06	177.54	184.29
2.ईंधन व प्रकाश	218.99	225.73	229.42	233.84
3.आवास	203.78	204.72	207.43	210.64
4.वस्त्र, बिस्तर एवं जूते	174.41	174.95	176.68	179.48
5.विविध	163.86	165.69	168.07	169.86
<b>क्षेत्रवार समस्त वर्ग</b>				
पश्चिमी क्षेत्र	173.68	175.86	179.24	183.42
मध्य क्षेत्र	177.17	179.86	184.10	189.18
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	174.27	175.91	179.46	183.40
पूर्वी क्षेत्र	175.06	176.83	181.68	186.68
उत्तर प्रदेश	174.89	177.11	181.01	185.46
<b>उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)</b>				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 का औसत सूचकांक
<b>राज्य स्तरीय</b>				
1.खाद्य पेय द्रव्य और तम्बाकू	178.64	180.50	186.34	194.05
2.ईंधन व प्रकाश	219.66	218.97	219.59	222.49
3.आवास	221.72	224.16	226.32	229.83
4.वस्त्र, बिस्तर एवं जूते	183.72	185.03	186.47	188.82
5.विविध	170.21	172.09	173.59	174.40
<b>क्षेत्रवार समस्त वर्ग</b>				
पश्चिमी क्षेत्र	179.40	181.51	184.84	189.39
मध्य क्षेत्र	180.77	183.31	187.86	194.32
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	178.31	178.81	181.75	185.78
पूर्वी क्षेत्र	184.69	185.12	189.36	194.73
उत्तर प्रदेश	181.70	183.28	187.15	192.22

2— उत्तर प्रदेश का ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12 पर) त्रैमासान्त मार्च 2021 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 का सूचकांक प्रकाशित किया गया ।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
क्रमांक		त्रैमासान्त मार्च 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 का औसत सूचकांक
<b>1. पश्चिमी क्षेत्र</b>					
	(i) बढ़ई	183.30	188.10	190.54	193.85
	(ii) राज	176.48	180.10	184.00	186.96
	(iii) कृषि श्रमिक	197.09	202.19	203.03	207.19
<b>2. मध्य क्षेत्र</b>					
	(i) बढ़ई	212.86	215.12	216.33	218.69
	(ii) राज	205.01	207.28	207.03	214.35
	(iii) कृषि श्रमिक	233.94	246.20	248.92	252.19
<b>3. बुन्देलखण्ड क्षेत्र</b>					
	(i) बढ़ई	246.81	249.61	253.30	257.86
	(ii) राज	215.48	218.04	222.06	225.35
	(iii) कृषि श्रमिक	198.08	205.54	207.92	209.39
<b>4. पूर्वी क्षेत्र</b>					
	(i) बढ़ई	217.92	221.61	224.71	227.08
	(ii) राज	219.46	221.63	223.68	226.05
	(iii) कृषि श्रमिक	226.97	237.31	236.72	245.05
<b>5. उत्तर प्रदेश</b>					
	(i) बढ़ई	203.56	207.53	210.16	213.04
	(ii) राज	196.60	199.51	202.29	205.56
	(iii) कृषि श्रमिक	212.90	220.99	221.70	227.02
उत्तर प्रदेश का नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
क्रमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2021 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2021 का औसत सूचकांक
<b>1. पश्चिमी क्षेत्र</b>					
	(i) बढ़ई	178.45	182.26	183.72	184.57
	(ii) राज	178.58	183.63	185.09	186.46
	(iii) अकुशल श्रमिक	193.34	196.35	198.71	201.83
<b>2. मध्य क्षेत्र</b>					
	(i) बढ़ई	204.92	206.07	204.39	205.70
	(ii) राज	212.90	214.62	217.82	222.58
	(iii) अकुशल श्रमिक	218.79	221.51	222.30	225.66
<b>3. बुन्देलखण्ड क्षेत्र</b>					
	(i) बढ़ई	214.89	218.58	220.35	221.37

	(ii) राज	199.74	205.10	207.00	207.37
	(iii) अकुशल श्रमिक	206.93	210.09	211.13	211.13
4.	पूर्वी क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	222.11	222.96	223.85	227.39
	(ii) राज	205.11	205.82	207.10	210.83
	(iii) अकुशल श्रमिक	215.58	216.88	222.31	225.64
5.	उत्तर प्रदेश				
	(i) बढ़ई	190.01	192.96	193.81	195.09
	(ii) राज	190.08	193.91	195.71	198.01
	(iii) अकुशल श्रमिक	203.85	206.49	209.00	212.05

#### 5.4.5. कृषि क्रय-विक्रय समता सूचकांक का प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश का कृषि क्रय-विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) को कृषि वर्ष 2020–21 के लिए प्रकाशनार्थ अन्तिम रूप दिया गया।

उत्तर प्रदेश का कृषीय क्रय-विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
क्रम संख्या	कृषि वर्ष	कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक	कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक	कृषि क्रय-विक्रय समता सूचकांक
1	2	3	4	5
1	2018–19	174.66	161.41	108.21
2	2019–20	182.13	169.30	107.58(अनन्तिम)
3	2020–21	193.49	180.28	107.33(अनन्तिम)

\*\*\*\*\*

## अध्याय—6

# औद्योगिक सॉखियकी

### 6.0 पृष्ठभूमि—

- राज्य की औद्योगिक स्थिति का सही वित्रण प्रस्तुत करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित औद्योगिक गतिविधियों को सॉखियकीय विधि के अनुसार मापन करके एक संख्या प्रस्तुत की जाती है जिसके परिमाण से उस समयावधि में किसी संदर्भ अवधि (आधार वर्ष) की तुलना में हुए औद्योगिक उत्पादन के स्तर का बोध होता है। इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता/प्रवृत्ति की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सॉखियकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सॉखियकीय प्राधिकारी (स्टेटिस्टिकल अथॉरिटी) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाने लगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूपपत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

### 6.1 कार्य एवं दायित्व

अर्थ एवं संख्या प्रभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं—

1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production) (IIP)
2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) (ASI)

### 6.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

सामान्य परिचय

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाने का कार्य वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर प्रारम्भ किया गया तथा वर्तमान में आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है।
- उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्रवृत्ति का संकेतक है। इसके द्वारा राज्य में उपयोग आधारित संवर्गीय मदों में होने वाले परिवर्तन का आंकलन किया जाता है।

#### राज्य स्तरीय सूचकांक—कैलेंडर

राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक एवं वार्षिक तैयार किया जाता है। मासिक सूचकांक माह की समाप्ति के 2 माह के अंदर एवं वार्षिक सूचकांक आगामी वर्ष के नवम्बर माह के अन्त तक तैयार किया जाता है।

#### आधार वर्ष

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने हेतु सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली मद तालिका में से पुराने व अप्रसांगिक मदों को छोड़कर नये व प्रचलित मदों को सम्मिलित करते हुए समय—समय पर आधार वर्ष को केन्द्रीय सॉखियकीय कार्यालय के मार्ग निर्देशन में नवीन वर्ष पर परिवर्तित किया जाता है।

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1998 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2007 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2011 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2015–16 से आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक तैयार किया जा रहा है।

- पूर्व में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्षेत्रवार ही तैयार किया जाता था किन्तु आधार वर्ष 2004–05 पर 2011–12 से उपयोग आधारित सूचकांक उपलब्ध है। वर्तमान में आधार वर्ष 2004–05 को परिवर्तित कर आधार वर्ष 2011–12 कर दिया गया है।

### **6.2.1 उद्योग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक(Industry based Index Of Industrial production)**

- भारत सरकार की ही भाँति प्रदेश स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित) औद्योगिक उत्पादन के तीन मुख्य खण्डों/सेक्टर यथा विनिर्माण, ऊर्जा व खनन में हो रही गतिविधियों के संयोजन पर आधारित है। इसके मुख्य सेक्टर विनिर्माण का सृजन राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के उत्पादन संकलन से तैयार किया जाता है जो उन पृथक–पृथक औद्योगिक समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।

- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05, NIC 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 NIC 2008 पर आधारित है।
- सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख (weighting diagram) एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

खण्ड	भार			कुल मद /मद समूह की संख्या	
	आधार 2004–05	वर्ष	आधार वर्ष 2011–12	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12
विनिर्माण	740.10		809.35	149	174 (144 मद समूह)
खनन	110.16		118.89	4	02 (02 मद समूह)
ऊर्जा	149.74		71.76	1	01 (01 मद समूह)
योग	1000.00		1000.00	154	177 (147 मद समूह)

### **6.2.2 उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Use Based Index of Industrial Production)**

- विभिन्न उपयोग आधारित सूचकांक औद्योगिक मदों के समूहों के संकलन से तैयार किया जाता है, जो पृथक–पृथक उपयोग समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा उपयोग आधारित सूचकांक आधार वर्ष 2004–05, NIC 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 NIC 2008 पर आधारित है।
- सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख (weighting diagram) एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

क्रसं.	आधार वर्ष 2004–05			आधार वर्ष 2011–12		
	वर्गीकरण	भार	कुल मदों की संख्या	वर्गीकरण	भार	कुल मद समूह
i	आधारभूत वस्तुएं	483.80	24	i- प्राथमिक वस्तुएं	293.78	10 09
ii	पूँजीगत वस्तुएं	46.65	17	ii- पूँजीगत वस्तुएं	73.19	14 12
iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	126.77	42	iii-.आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	48.37	12 09
iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	342.78	71	iv- मध्यवर्ती वस्तुएं	173.83	46 37
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	70.60	27	v-कुल उपभोग वस्तुएं	410.83	95 80
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	272.18	44	v—a टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	167.08	50 39
		—	—	v-b गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	243.75	45 41
योग	1000	154			1000	177 147

### प्रयुक्त आँकड़े एवं उनके स्रोत—

- सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त आँकड़ों एवं उनके स्रोत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

मद	आँकड़ों का स्रोत
वनस्पति	निदेशक वनस्पति, भारत सरकार
चीनी, खाण्डसारी	चीनी आयुक्त, उ0प्र0
आबकारी	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0
विनिर्माण खण्ड	वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित चयनित 722 कारखानों से आँकड़े एकत्रित किये जाते हैं। प्रत्येक मास के उपरान्त 15 दिन के अंदर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय द्वारा उक्त कारखानों से उत्पादन विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
खनिज खण्ड	आई.बी.एम. नागपुर, भारत सरकार
विद्युत खण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सॉख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है।

#### 6.2.3 वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक—परिमाण एवं मूल्य

- कृषि उत्पादन सूचकांक द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति का आंकलन किया जाता है। कृषि उत्पादन की प्रगति का अनुमान परिमाण (Quantity) एवं मूल्य पर आधारित है।
- राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन सूचकांक वार्षिक अवधि में नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सूचकांक वर्ष 1978–79 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1997–98 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2004–05 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया। वर्ष 2008–09 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2018–19 में आधार वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष 2011–12 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

#### 6.2.4 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

- 2020–21 का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत माह फरवरी 2021 (त्वरित) एवं माह जनवरी 2021 (अनन्तिम) से माह जनवरी 2022 (त्वरित) एवं दिसम्बर 2021 (अनन्तिम) आधार वर्ष 2011–12 पर कुल 12 महीनों के त्वरित/अनन्तिम औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक तैयार किये गये।
- कृषि उत्पादन सूचकांक (परिमाण एवं मूल्य) वर्ष (2020–21) को आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किया गया है।

## मुख्य परिणाम —

### औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग / खण्डवार) मासिक सूचकांक वर्ष (2020–21) आधार वर्ष 2011–12

सेक्टर / खण्ड	अप्रैल 20	मई 20	जून 20	जुलाई 20	अगस्त 20	सितम्बर 20	अक्टूबर 20	नवम्बर 20	दिसम्बर 20	जन. 21	फर. 21	मार्च 21
खनिज	95.54	105.62	95.15	90.50	91.08	130.63	133.80	116.19	108.79	106.63	102.44	118.59
ऊर्जा	108.98	121.46	131.55	145.22	140.49	146.46	137.19	108.86	126.18	134.51	123.20	146.31
विनिर्माण	44.78	90.07	105.79	116.51	114.29	124.12	118.40	118.44	152.41	147.07	134.31	148.66
सामान्य सूचकांक	55.42	94.18	106.37	115.48	113.41	126.50	121.58	117.49	145.34	141.36	129.72	144.92

### वार्षिक सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)

वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में खण्डवार प्रतिशत वृद्धि / कमी

खण्डवार सूचकांक	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	गत वर्ष के सापेक्ष %वृद्धि / कमी
खनिज	115.76	107.91	-6.78
ऊर्जा	128.05	130.87	2.20
विनिर्माण	118.00	117.90	-0.08
सामान्य सूचकांक	118.46	117.64	-0.69

### औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित) मासिक सूचकांक (वर्ष 2020–21) आधार वर्ष 2011–12

उपयोग आधारित वर्गीकरण	अप्रैल 20	मई 20	जून 20	जुलाई 20	अगस्त 20	सित. 20	अक्टू 20	नव. 20	दिस. 20	जनवरी 21	फरवरी 21	मार्च 21
1.प्राथमिक वस्तुएं	98.61	112.34	114.27	114.29	109.04	124.33	128.88	116.74	119.48	120.61	110.54	118.32
2. पूँजीगत वस्तुएं	7.47	189.02	193.81	217.36	244.38	271.05	209.03	223.16	425.33	392.70	283.88	378.82
3.आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	14.81	73.76	103.89	99.08	97.36	108.11	119.10	112.70	126.43	128.40	127.62	143.13
4.मध्यवर्ती वस्तुएं	40.57	88.92	100.25	134.25	136.07	144.17	146.85	130.48	142.10	144.09	139.02	161.30
5.कुल उपयोग वस्तुएं	44.14	68.91	88.03	92.17	85.50	96.98	90.37	94.26	117.56	111.79	112.29	115.55
5.1टिकाऊ उपयोग वस्तुएं	6.18	30.84	53.31	73.55	81.28	93.23	83.55	78.82	82.59	82.67	74.88	82.75
5.2गैर टिकाऊ उपयोग वस्तुएं	70.17	95.01	111.82	104.94	88.39	99.56	95.05	104.84	141.53	131.76	137.94	138.04
सामान्य सूचकांक	55.42	94.18	106.37	115.48	113.41	126.50	121.58	117.49	145.34	141.36	129.72	144.92

**वार्षिक सूचकांक**  
**आधार वर्ष 2011–12**  
**वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में प्रतिशत वृद्धि/कमी**

क्रमांक	उपयोग आधारित वर्गीकरण	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	गत वर्ष के सापेक्ष %वृद्धि/कमी
1.	प्राथमिक वस्तुएं	119.08	115.62	−2.91
2.	पूँजीगत वस्तुएं	182.91	252.97	38.30
3.	आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	114.51	104.53	−8.72
4.	मध्यवर्ती वस्तुएं	137.29	125.67	−8.46
5.	कुल उपभोग वस्तुएं	99.02	93.13	−5.95
5.1	टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	78.01	68.63	−12.02
5.2	गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	113.43	109.92	−3.09
	सामान्य सूचकांक	118.46	117.64	−0.69

**कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सूचकांक (वर्ष 2020–21) आधार वर्ष 2011–12**  
**कृषि उत्पादन सूचकांक—परिमाण(volume)**

प्रमुख मद	वर्ष 2018–19(अंतिम)	वर्ष 2019–20(अनन्तिम)	वर्ष 2020–21(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2019–20	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2020–21
अनाज	109.24	111.92	123.85	2.45	10.66
दाल	95.48	99.20	103.89	3.90	4.73
फल एवं सब्जी	145.33	146.53	154.19	0.83	5.23
गन्ना	167.71	167.54	166.42	−0.10	−0.67
तिलहन	95.68	82.51	92.22	−13.76	11.77
सामान्य सूचकांक	126.10	127.98	135.11	1.49	5.57

**कृषि उत्पादन सूचकांक—मूल्य(value)**

प्रमुख मद	वर्ष 2018–19(अंतिम)	वर्ष 2019–20(अनन्तिम)	वर्ष 2020–21(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2019–20	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2020–21
अनाज	176.06	181.84	204.64	3.28	12.54
दाल	127.38	149.93	178.92	17.70	19.34
फल एवं सब्जी	209.60	277.30	311.91	32.30	12.48
गन्ना	226.75	227.09	225.78	0.15	−0.58
तिलहन	115.49	109.48	162.25	−5.20	48.20
सामान्य सूचकांक	181.71	198.52	217.97	9.25	9.80

### 6.3.वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण—

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीति निर्धारकों एवं नियोजकों को औद्योगिक आँकड़े उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला आय के निर्धारण में विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आकलित करना है।

#### 6.3.1 मुख्य उद्देश्य आच्छादन एवं फेम आच्छादन –

(क) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अन्तर्गत वे सभी औद्योगिक इकाइयां सम्मिलित हैं जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2m(i) एवं 2m(ii) के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। धारा 2m(i) के अन्तर्गत वे कारखाने सम्मिलित हैं जिनमें शक्ति की सहायता से कर्मकरों की संख्या 10 या उससे अधिक होती है तथा धारा 2m(ii) के अन्तर्गत वे कारखाने सम्मिलित हैं जिनमें बिना शक्ति की सहायता से कर्मकरों की संख्या 20 या उससे अधिक होती है।

(ख) औद्योगिक साँचियकी पर स्थायी समिति (Standing Committee on Industrial Statistics) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के कवरेज को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2m(i),

2m(ii) और बीडी और सिगार कामगार (शर्तें) के दायरे से बाहर बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभ में, 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयां, जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2m (i) एवं 2m (ii) के तहत पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन सात अधिनियमों/बोर्ड/प्राधिकरणों में से किसी के तहत पंजीकृत हैं अर्थात्, कंपनी अधिनियम, 1956, कारखाना अधिनियम, 1948, दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केंद्र), प्रतिष्ठान के व्यापार रजिस्टर (Business Register of Establishments) में जैसा कि राष्ट्रीय लेखा प्रभाग के पास उपलब्ध है और क्षेत्र संचालन प्रभाग (Field Operations Division) द्वारा सत्यापित है, को भी चयन हेतु विचार किया जाता है।

(ग) बीडी व सिगार की इकाइयां जो बीडी व सिगार श्रमिक (रोजगार शर्तें) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(घ) विद्युत जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित कार्य में लगे हुए समस्त विद्युत उपक्रम जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में सम्मिलित है।

रक्षा मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन संस्थाएं, तेल संग्रहण एवं वितरण करने वाली इकाइयाँ, भोजनालय एवं जलपान गृह एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आदि जो ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते जिनका विक्रय अथवा विनिमय किया जा सके, को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण क्षेत्र के बाहर रखा गया है। वर्ष 1999–2000 से कैप्टिव (Captive) इकाइयों को छोड़कर सभी बिजली से सम्बन्धित उपक्रमों एवं सभी विभागीय उपक्रम जैसे रेलवे वर्कशाप आदि को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की परिसीमा से बाहर रखा गया है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 से एवं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार के साँचिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। वर्ष 1989–90 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रति 3 वर्षों में एक बार संशोधन/अद्यतन किया जाता रहा है, सम्प्रति वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रतिवर्ष अद्युनांत किया जाता है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, वर्ष 2019–20 के फ्रेम में कुल 16297 कारखाने सम्मिलित हैं।

### 6.3.2 अवधि

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के संग्रहीत आँकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

### 6.3.3 चयन प्रक्रिया

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की चयन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2019–20 का फ्रेम दो भागों में वर्गीकृत है, केन्द्रीय प्रतिदर्श एवं राज्य प्रतिदर्श। केन्द्रीय प्रतिदर्श को भी गणना व गैर गणना सेक्टर के आधार पर दो भागों में बाँटा गया है। गणना सेक्टर में वे कारखाने वर्गीकृत होते हैं जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं तथा जो संयुक्त रिट्टन भरते हैं, (अर्थात् जिनका संचालन एक ही प्रबंधन के अन्तर्गत आता हो और उसकी कई शाखाएं हो) उक्त के अतिरिक्त स्ट्रेटा के अन्तर्गत किसी जनपद की NIC में चार या चार से कम इकाइयां हो उन सभी को गणना इकाई समझा जायेगा। गणना सेक्टर के समस्त कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य के प्रतिदर्श कारखानों का सर्वेक्षण अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जाता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2019–20 के प्रतिदर्श अभिकल्प के ढाँचे का निर्माण जिला स्तर पर 3 अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण–2008 (NIC-2008) पर किया गया है।

### 6.3.4 सर्वेक्षण हेतु अनुसूची

सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये निर्धारित अनुसूची भाग–1 (विवरणी) का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मदें–देशी एवं आयातित, उत्पाद एवं उपोत्पाद, विभाजक व्यय आदि के सम्बन्ध में आँकड़े संग्रह किये जाते हैं।

### 6.3.5 उद्योगों का वर्गीकरण

कारखानों के आर्थिक क्रिया कलापों में उद्योगों का वर्गीकरण प्रचलित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) का अनुसरण किया जाता है। वर्तमान में (NIC-2008) का प्रयोग किया जा रहा है।

### **6.3.6 सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट आलेखन**

केन्द्रीय साँचियकी संगठन, कोलकाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी राज्य प्रतिदर्श कारखानों की सूची को जनपदवार/मण्डलवार वितरित करके जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रतिदर्श कारखानों को नोटिस अनुदेश, अनुसूची आदि प्रपत्र भेजकर ऑकड़ों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है। कारखानों के ऑकड़ों का डेटा इन्ट्री/वैलिडेशन करने हेतु प्रत्येक वर्ष सॉफ्टवेयर को तैयार/विकसित करके क्षेत्रों के सहायकों को प्रशिक्षित किया जाता है। संग्रहित ऑकड़ों का मण्डल स्तर पर परिनिरीक्षण व डेटाइन्ट्री/वैलिडेशन करने के उपरान्त प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है। प्रभाग स्तर पर सन्दर्भित वर्ष के राज्य व केन्द्र के ऑकड़ों को जनपद के अन्तर्गत उद्योग वर्गानुसार मिलाने के उपरान्त निर्धारित गुणक से उद्योग वर्गानुसार अनुमान प्राप्त कर गणना कारखानों के ऑकड़ों को जिलेवार एवं उद्योगवार अनुमानित ऑकड़ों के साथ जोड़कर जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार तथा प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित ऑकड़ों को आमेलित कर गुणक का उपयोग करते हुए विनियोजित पूँजी, उपभुक्त सामग्री, कुल आगत, कुल निर्गत, उत्पादन का मूल्य, सकल आवर्धित मूल्य, मूल्य ह्वास, शुद्ध आवर्धित मूल्य आदि महत्वपूर्ण मदों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।

### **6.3.7 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य**

- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2018–19** वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2018–19 के रिपोर्ट लेखन के अन्तर्गत मुख्य सारणियों की परस्पर संगतता जाँच कर विभिन्न तालिकाओं को तैयार किया गया। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2018–19 के प्रतिचयन ढाँचे में 15976 कारखाने थे। उक्त में से प्रतिचयन पद्धति के माध्यम से गणना क्षेत्र के 3818, केन्द्रीय प्रतिदर्श के 1594 एवं राज्य प्रतिदर्श के 3152 कारखाने, कुल 8564 कारखानों का चयन किया गया, जिसके सर्वेक्षित ऑकड़ों पर आधारित तैयार अनुमानों के समेकित विश्लेषण के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन रहा।
- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2019–20** संदर्भित वर्ष के 3486 प्रतिदर्श कारखानों के सापेक्ष माह मार्च 2022 तक सभी कारखानों का सर्वेक्षण, अनुसूचियों का परिनिरीक्षण, डाटाइन्ट्री/वैलिडेशन तथा प्रभाग स्तर पर सभी कारखानों के डाटा की जाँच का कार्य पूर्ण कराया गया।

\*\*\*\*\*

## अध्याय –7

### आवास साँखियकी

#### 7.0 पृष्ठभूमि—

आवास एवं भवन निर्माण साँखियकी के संग्रहण और प्रसारण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.), शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रूप में नामित किया गया है। आवास साँखियकी संग्रहण की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969) में लागू हुई। योजनान्तर्गत आवास साँखियकी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा एकत्र करायी जाती थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वर्ष 2007–08 से एक नई केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना "Urban Statistics for HR and Assessments (U.S.H.A)" प्रारम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य आवास निर्माण, नगरीय गरीबी, झोपड़पट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस, सूचना तन्त्र का प्रबन्धन एवं अन्य जानकारियाँ तैयार करना है।

#### 7.1 कार्य एवं दायित्व

राष्ट्रीय भवन संगठन भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा ऊषा कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास निर्माण नगरीय गरीबी, झोपड़पट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना तैयार किये जाने हेतु प्रभाग द्वारा वांछित ऑकड़े एकत्रित कराकर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को उपलब्ध कराये जाते हैं।

- नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट-1

वर्ष 2013–14 से अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 के स्थान पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट-1 के ऑकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 35 नगर चयनित किये गये हैं, जिनके ऑकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

- जारी किये गये भवनों के अनुमति प्रमाण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 56 जनपदों के 63 नगर चयनित हैं। नये आवासीय भवन इकाईयों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के ऑकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

#### Housing Start-up index(HSUI)

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUI योजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों की सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के ऑकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कराकर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से त्रुटियों का निराकरण कराकर जनपदों द्वारा सीधे ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव

प्रभाग के सभी जिलों से 30 सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमासान्त के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर बाजार भाव राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों के 14 मदों के 76 उपमदों के फुटकर भाव प्रत्येक त्रैमासान्त में एकत्र किये जाते हैं। 14 मदों में ईंटें, रेत,

पत्थर की रोड़ी, चूना, इमारती लकड़ी, सीमेन्ट, इस्पात, फर्श के लिए पत्थर की स्लैप, ऐस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, टाइलें, रोगन व वार्निश, चादर काँच, सफाई पात्र एवं इलेक्ट्रिक फीटिंग सम्मिलित है। भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव के आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कराकर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन इन्ट्री किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

- **भवन निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें**

यह कार्य सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग से कुशल मजदूरों यथा राज (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), बढ़ई (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) तथा अकुशल मजदूर (पुरुष एवं स्त्री) को देय मजदूरी की दरों के आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते थे। माह जून, 2013 से भवन निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें लोक निर्माण विभाग से संग्रहीत न कराकर सीधे जिले(नगर) के खुले बाजार से आँकड़ों का एकत्रीकरण कर ऑनलाइन इन्ट्री की जाती है। तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

- **भवन निर्माण लागत सूचकांक**

भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 1983 से (1980–81 के आधार वर्ष पर) प्रदेश के 7 जनपदों(कानपुर, बरेली, झाँसी, गोरखपुर, प्रयाराज, मेरठ तथा वाराणसी) के लिये चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु तैयार किया जाता था। वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आधार वर्ष 1999–2000 पर निम्न आय वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1(एल.आई.जी.) के लिए सभी जनपदों में लागत सूचकांक तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल0आई0जी0) के भवन निर्माण लागत सूचकांक आधार वर्ष 1999–2000 के स्थान पर वर्ष 2004–05 किया गया है। वर्ष 2018–19 से अल्प आय समूह हेतु भवन निर्माण लागत सूचकांक का आधार वर्ष 2011–12 किया गया है। त्रैमासान्त जून, 2013 से पूर्व की भाँति लागत(कास्ट) आवास विकास परिषद /पी0डब्ल्यूडी0/अन्य कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर भवन निर्माण लागत सूचकांक को त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक ब्रिक्स सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन इन्ट्री किया जाता है तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है।

- **जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना—**

जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना का एकत्रीकरण वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है। इसमें प्रदेश के चयनित 35 नगरों के आँकड़े Municipal commissioners /District Collectors/City Development Authorities से प्राप्त करने के उपरान्त urban local bodies के Deputy Commissioner के स्तर से सत्यापित कराकर आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कराकर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

## 7.2 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

- 75 जनपदों के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव त्रैमासान्त मार्च 2021, जून 2021, सितम्बर 2021 एवं दिसम्बर 2021 को ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के भवन निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें त्रैमासान्त मार्च 2021, जून 2021, सितम्बर 2021 एवं दिसम्बर 2021 को ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी।

- 75 जनपदों के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्भित आवास टाइप-1 के भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2021–22 को ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट-1 के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के ऑकड़े त्रैमासान्त मार्च 2021, जून 2021, सितम्बर 2021 एवं दिसम्बर 2021 को ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये।
- जारी किये गये भवन के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट चयनित 56 जनपदों के 63 नगरों के ऑकड़े त्रैमासान्त मार्च 2021, जून 2021, सितम्बर 2021 एवं दिसम्बर 2021 को ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये।
- एच०एस०य०आई० योजना के अन्तर्गत चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के नये आवासीय सम्पत्तियों की सर्किल दर, बाजार दर एवं किराया दर के ऑकड़े त्रैमासान्त मार्च 2021, जून 2021, सितम्बर 2021 एवं दिसम्बर 2021 को ऑनलाइन अनुमोदित कराकर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये।
- जीर्ण-शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनों के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के वार्षिक ऑकड़े वर्ष 2020–21 को ऑनलाइन अनुमोदित कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये।  
भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव तथा मजदूरी की दरें नामक वार्षिक पत्रिका वर्ष 2020–21 का प्रकाशन किया गया।

**7.2.1 भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, तथा मजदूरी की दरें वर्ष 2020–21 की प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष—**

**(i) आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव**

- ईटें श्रेणी (क) का औसत भाव रु0 6485 तथा रेत निम्न रु0 2249, रेत अव्वल रु0 1413, पत्थर की रोड़ी (15 मि.मी. गेज और कम) रु0 2164, इमारती लकड़ी (क) सी.पी. सागौन रु0 91911, (ख) साल की लकड़ी रु0 70305 प्रति घन मीटर रहा एवं चूना अनबुझा का औसत भाव रु0 1031 प्रति कुन्तल पाया गया।
- सीमेन्ट साधारण सफेद(क) उच्च शक्तिवाली का औसत भाव रु0 7888 (ख) कम शक्तिवाली रु0 7062, इस्पात (साधारण इस्पात की गोल छड़े) (क) 10 मि.मी. व्यास रु0 47617 (ख) 12 मि.मी. व्यास रु0 47535, इस्पात (साधारण इस्पात की चपटी छड़े) 30×12 मि.मी रु0 47997, इस्पात (एंगल आइरन) (क) 25×25×5 मि.मी. रु0 47693,(ख) 45×45×6 मि.मी.रु0 47444 साधारण इस्पात के चैनल (150×75 मि.मी.) रु0 49515 प्रति मी0 टन रहा।
- लकड़ी इस्पात कार्य के लिए विशेष पेंट का औसत भाव रु0 266 प्रति लीटर पाया गया।
- चादर कॉच के औसत भाव रु0 545 प्रति वर्ग मी. पाया गया।
- सफाई पात्र एस. डब्ल्यू पाइप (100 मि. मी. व्यास) का औसत भाव रु0 107 प्रति अदद पाया गया।

**(ii) विभिन्न प्रकार की दैनिक मजदूरी की दरें**

प्रदेश स्तर की राज प्रथम श्रेणी की औसत मजूदरी रु0 555, राज द्वितीय श्रेणी रु0 502, बढ़ई प्रथम श्रेणी रु0 524, बढ़ई द्वितीय श्रेणी रु0 474, अकुशल मजदूर (पुरुष)रु0 339, अकुशल मजदूर (स्त्री) रु0 320 प्रति दिन पाया गया।

\* \* \* \* \*

## अध्याय—४

# डेटा प्रोसेसिंग एवं सॉफ्टवेयर विकास

### **8.0 पृष्ठभूमि—**

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं विभिन्न समाजार्थिक सर्वेक्षण कार्यों के माध्यम से एकत्र कराये जा रहे आँकड़ों की डेटा इन्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर विकास एवं उनके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण, आँकड़ों की डेटा प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आँकड़ों की पूलिंग सम्बन्धी कार्य, प्रभागीय वेबसाइट का प्रबन्धन, स्थानीय निकाय के आय-व्यय के लेखा सम्बन्धी डेटा इन्ट्री एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धी सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थेनिंग (एस०एस०एस०) योजना के अन्तर्गत “डेवलेपमेण्ट आफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑफलाइन एण्ड ऑनलाइन डेटा इन्ट्री” विषयक परियोजना में आई०आई०पी०, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं भाव साँचिकीय मॉड्यूल के अनुरक्षण का कार्य, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई०जी०आर०एस०) के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर अपलोड करने सम्बन्धी कार्य संगणक अनुभाग द्वारा किये जा रहे हैं। उक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात कार्मिकों की कम्प्यूटर दक्षता व कुशलता में अभिवृद्धि हेतु अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में वस्तुओं/सेवाओं का क्य GEM Portal के माध्यम से किए जाने हेतु User Id एवं Password बनाये जाने का कार्य भी अनुभाग द्वारा किया जा रहा है।

### **8.1 वर्ष 2021–22 में किये जाने वाले कार्य**

- ग्राम्य विकास कार्यों के सामुदायिक कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी सॉफ्टवेयर में आँकड़ों को वैलीडेट करने के लिये वैलीडेशन प्रोग्राम को सम्मिलित करते हुए संशोधित सॉफ्टवेयर का विकास कार्य किया गया।
- स्थानीय निकाय के आय-व्यय के लेखा सम्बन्धी वर्ष 2020–21 हेतु डेटा इन्ट्री एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धी सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य किया गया।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2018–19 के सारणीयन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करते हुए तालिकाओं का निर्माण कार्य किया गया।
- ‘डेवलपमेण्ट आफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑफलाइन एण्ड ऑनलाइन डेटा इन्ट्री’ एप्लीकेशन में आई०आई०पी०, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण मॉड्यूल तथा भाव साँचिकीय मॉड्यूल के सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न स्तर से प्राप्त समस्याओं का निराकरण कराया गया।
- समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई०जी०आर०एस०) के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर, तत्सम्बन्धी सूचनाओं को अपलोड करने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।
- प्रभाग की वेबसाइट पर विभिन्न अनुभागों से समय-समय पर प्राप्त सूचनाओं को अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रभाग मुख्यालय स्तर पर समन्वय का कार्य किया गया।
- RSAC UP द्वारा विकसित GIS based Statistical Portal पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग से सम्बन्धित 20 Key Statistics की सूचनाओं को अपलोड/अपडेट करने हेतु RSAC को प्रेषित करने सम्बन्धी कार्य किया गया।

\* \* \* \* \*

## अध्याय—9

# ग्राफ एवं मानचित्रण

### 9.0 पृष्ठभूमि—

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा नियमित रूप से मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर विभिन्न प्रकार के ऑकड़ों को प्रकाशनों/प्रतिवेदनों के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऑकड़ों की बेहतर समझ एवं एक दृष्टि में ऑकड़ों के प्रदर्शन में ग्राफ एवं मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। इसी उद्देश्य से प्रभाग मुख्यालय स्तर पर एक ग्राफ अनुभाग का गठन किया गया है, जिसमें कलाकार, वरिष्ठ कलाकार व मुख्य कलाकार के पद सृजित हैं।

### 9.1 क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्पादित कार्य—

वर्तमान में विकास सम्बन्धी ऑकड़ों को मण्डल के मानचित्रों के अन्तर्गत जनपदों एवं जनपद के मानचित्रों में विकासखण्डों की परस्पर तुलनात्मक स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से नियोजन एटलस का प्रकाशन भी प्रभाग के मण्डल/जनपद कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर प्रत्येक वर्ष नियोजन एटलस जी.आई.एस. आर्कव्यू सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जाता है। नियोजन एटलस की संरचना में प्रयुक्त संकेतांकों की सूचना में साँख्यिकीय पत्रिका के ऑकड़ों का उपयोग किया जाता है। साँख्यिकीय पत्रिका के प्रकाशनों परान्त एक माह के अन्दर जनपदीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है तथा जनपदीय नियोजन एटलस के प्रकाशन के बाद एक माह के अन्दर मण्डलीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

मण्डलीय नियोजन एटलस में 72 मुख्य विकास संकेतांकों के आधार पर 72 मानचित्रों व तालिकाओं को तैयार किया जाता है तथा जनपदीय नियोजन एटलस को 2 भागों में तैयार किया जाता है। प्रथम भाग में मण्डल के समस्त जनपदों के 30 विकास संकेतांकों के आधार पर 30 तालिकायें व मानचित्रों तथा द्वितीय भाग में विकास खण्डों के 69 मुख्य विकास संकेतांकों के आधार पर 69 तालिकायें व मानचित्रों को प्रदर्शित किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर होने वाले प्रकाशनों जैसे—साँख्यिकीय पत्रिका, समाजार्थिक समीक्षा, विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका व समाजार्थिक समीक्षा में ऑकड़ों के प्रस्तुतीकरण को आकर्षक एवं सुस्पष्ट बनाने हेतु लगाये जाने वाले रंगीन ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते हैं।

ग्राफ अनुभाग द्वारा प्रत्येक जनपद व मण्डल की नियोजन एटलस के प्रकाशन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन व दिशा निर्देश तथा उनके परिनिरीक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

### 9.2 वर्ष 2021–22 में सम्पादित किये गये कार्य

- रा० प्र० स०—७६वीं आवृत्ति की अनुसूची 26 (दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण) की रिपोर्ट नामक पत्रिका का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी ऑकड़े, वर्ष 2019–20 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- अन्तर्जनपदीय ऑकडे वर्ष 2020 नामक पत्रिका के रंगीन आवरण पृष्ठ व ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।
- साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष—2021 (हिन्दी/अंग्रेजी संस्करण) का आवरण पृष्ठ, उत्तर प्रदेश का मानचित्र, ग्राफ/चार्ट एवं कैलेण्डर वर्ष—2022 तैयार किये गये।
- साँख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश वर्ष—2021 के प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र (उत्तर प्रदेश व भारत) एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।

- वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020–21 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2021–22 रंगीन आवरण पृष्ठ व ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश वर्ष–2021 का रंगीन आवरण पृष्ठ व ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।
- राज्य आय अनुमान उत्तर प्रदेश वर्ष–2011–12 से 2020–21 नामक पत्रिका का रंगीन आवरण पृष्ठ व ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।
- A Report on Social Consumption: Education in Uttar Pradesh based on pooled data (Central and State Sample) of 75th round N.S.S. schedule 25.2 (July 2017 - June 2018 ) नामक पत्रिका का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- A Report on Social Consumption: Health in Uttar Pradesh based on pooled data (Central and State Sample) of 75th round N.S.S. schedule 25.0 (July 2017 - June 2018 ) नामक पत्रिका का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष–2018–19 का रंगीन आवरण पृष्ठ व मानचित्र तैयार किये गये।
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक ऑकड़े वर्ष–2020 का रंगीन आवरण पृष्ठ व ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक, वर्ष–2020–21 का रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र व ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- उत्तर प्रदेश एक झलक वर्ष 2021 (हिन्दी/अंग्रेजी) का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- उत्तर प्रदेश की आय व्ययक के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण, वर्ष–2020–21 का रंगीन आवरण एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- नियोजन एटलस, वर्ष–2021 को जी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार कर दिये गये निर्देश के अनुपालन में चित्रकूटधाम मण्डल, आजमगढ़ मण्डल एवं बस्ती मण्डल तथा 15 जनपदों सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, अमेठी व सुल्तानपुर के कुल 18 नियोजन एटलस को तैयार कर जनपदों/मण्डलों को प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया गया।
- 18 मण्डलों एवं 75 जनपदों की नियोजन एटलस वर्ष–2020 का परिनिरीक्षण कर सम्बन्धित मण्डलों एवं जनपदों से पत्राचार द्वारा त्रुटियों/कमियों को ठीक कराया गया।
- प्रभाग मुख्यालय, मण्डलीय तथा जनपदीय कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के परिचय पत्र बनाने का कार्य किया।
- जिला घरेलू उत्पाद, अनुमान वर्ष–2019–2020 (संशोधित) सितम्बर वर्ष–2021 का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- साँख्यकीय दिवस से सम्बन्धित रंगीन बैनर तैयार किया गया।
- त्रैमासान्त (जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक), त्रैमासान्त (अप्रैल 2021 से जून 2021 तक), त्रैमासान्त (जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 तक) एवं त्रैमासान्त (अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 तक) के न्यूज लेटर का कार्य किया गया।

\*\*\*\*\*

## अध्याय—10

# वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण

### 10.0 पृष्ठभूमि—

राष्ट्रीय साँचिकीय आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्यों की साँचिकीय प्रणाली की क्षमता को विकसित करते हुए भारतीय साँचिकीय प्रणाली की क्षमता एवं संचालन में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना “इंडिया स्टैटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग प्रोजेक्ट” संचालित थी, जो उ0प्र0 में वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित हुई और यह योजना 31.03.2017 तक प्रभावी थी, परन्तु सम्बन्धित योजना भारत सरकार द्वारा “केन्द्रीय सेक्टर” में वर्गीकृत किये जाने पर योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित कर दी गयी एवं समय—समय पर भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन अवधि को बढ़ाते हुए अब योजना क्रियान्वयन की अन्तिम तिथि मार्च 2024 निर्धारित की गयी है। वर्तमान में योजना का नाम **Support for Statistical Strengthening (SSS)** है।

आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित समस्त उद्यमीय इकाईयों की सम्पूर्ण गणना है। आर्थिक विकास को स्थायी गति व दिशा देने, योजनाओं की वैज्ञानिक आधार पर संरचना करने, राज्य आय के आगणन, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नव उद्यमियों, वास्तविक नियोजन हेतु विश्वसनीय साँचिकीय सूचना उपलब्ध कराने, वर्तमान व भावी पीढ़ी एवं विकास कार्यक्रमों के नीति निर्धारण में आर्थिक गणना का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।

### 10.1 कार्य एवं दायित्व—

प्रभाग द्वारा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन निम्न दो गतिविधियाँ सम्पादित करायी जा रही है—

**10.1.1 सपोर्ट फार स्टैटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग स्कीम का क्रियान्वयन**

**10.1.2 आर्थिक गणना कार्य का सम्पादन**

#### 10.1.1.1 SSS योजना—

##### (क) प्रस्तावित कार्य—

दिनांक 03–11–2015 को स्वीकृत कार्य योजना ₹0 45.37 करोड़ के कार्यान्वयन सम्बन्धी MoU दिनांक 03–11–2015 को हस्ताक्षरित हुआ जिसमें केन्द्रांश ₹0 43.86 करोड़ तथा उ0प्र0 सरकार का अंशदान 1.6193 करोड़ रुपये था जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये 6.00 करोड़ रुपए की धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा 0.45 करोड़ रुपए अवमुक्त की गई है। योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित हो जाने व योजना के स्वरूप में परिवर्तन हो जाने के कारण संशोधित कार्य योजना का अनुमोदन राज्य व केन्द्र सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त पुनः दिनांक 30.06.2018 को भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य MoU हस्ताक्षरित किया गया। हस्ताक्षरित संशोधित MoU में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित किये गये—

क्र०स०	मद	आबंटन (धनराशि करोड़ में)
1	साँचिकीय अनुप्रयोग	4.082
2	डेटा गैप्स की पूर्ति हेतु विभिन्न चिन्हित विषयों पर अध्ययनोपरान्त तकनीकी समूह/संस्थाओं की संस्तुतियों का क्रियान्वयन।	7.8927
3	मानव संसाधन विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ	7.50
4	साँचिकीय प्रक्रिया एवं परिचालन की दक्षता में सुधार हेतु नवोन्मेष तकनीकी एवं क्रियाविधि का प्रयोग।	0.68
5	हितधारकों से विचार विमर्श तथा ऑकड़ों के प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को चिन्हित कर तदनुरूप सर्वेक्षण कार्य करना।	1.61

6	राज्य सॉखिकीय प्रणाली के निष्पादन पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदनों को सर्वसाधारण को सुलभ कराने सहित लागत में सुधार सम्बन्धी गतिविधियां।	0.75
7	ऑकड़ों की गुणवत्ता एवं तत्सम्बन्धी सुधार हेतु उपाय।	17.0627
8	सॉखिकीय उत्पादों एवं सेवाओं के प्रयोग में सुधार हेतु सूचना शिक्षा व संचार के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार।	2.49
	योग	<b>42.0674</b>

#### (ख) योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य—

MoSPI से प्राप्त SDG से सम्बन्धित activities को SSS योजनान्तर्गत राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु निर्देश व SSS योजना की संशोधित गाइडलाइन में विभिन्न कम्पोनेट में reappropriation की सुविधा उपलब्ध होने के क्रम में Strengthening monitoring framework for SDG सम्बन्धी ₹0.98 करोड़ का प्रस्ताव दीर्घकालीन योजना प्रभाग से प्राप्त कर संशोधित राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।

उक्त ‘संशोधित राज्य कार्यक्रम’ का मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता गठित (State high level Steering Committee) SHLSC से दिनांक 30.03.2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तदोपरान्त MoSPI, भारत सरकार के स्तर पर गठित PMC (Project Monitoring Committee) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। तत्क्रम में दिनांक 21.01.2022 को सम्पन्न अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यान्वयन समिति (SIC) की बैठक में अनुमोदित संशोधित राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित क्रियाकलापों में से SDG से सम्बन्धित 6 activities, चयनित वाह्य संस्थानों से RFP का अनुमोदन शासन से प्राप्त करने के उपरान्त निविदा के माध्यम से अध्ययन सम्पादित कराने व प्रभाग के काटौंग्राफर, सहायक/अपर सॉखिकीय अधिकारियों व अर्थ एवं संख्याधिकारियों को web designing, DTP, AUTOCAD से सम्बन्धित प्रशिक्षण गोरखपुर व लखनऊ स्थित भारत सरकार के नियंत्रणाधीन NIELIT (National Institute of Electronics and Information Technology) संस्थान से प्रदान करायें जाने का अनुमोदन द्वारा प्रदान किया गया।

#### 10.1.1.2 आर्थिक गणना

आर्थिक गणना के अन्तर्गत देश/प्रदेश में संचालित प्रत्येक वह उद्यम अर्थात उपक्रम जो किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण या किसी प्रकार की ऐसी सेवा में लगा हो, जो केवल अपने परिवार के उपभोग के लिए न हो, की गणना की जाती है। किसी उद्यम में काम करने वाले, परिवार के सदस्य अथवा भाड़े के श्रमिक अथवा दोनों हो सकते हैं। उद्यम का कार्य—कलाप एक या एक से अधिक स्थानों पर चलाया जा सकता है। गणना के समय उपलब्ध समस्त आकस्मिक, बारहमासी व मौसमी रूप में संचालित उद्यमों को सूचीबद्ध किया जाता है। उद्यमों की गणना करते समय बारहमासी उद्यमों के लिए पिछला कैलेण्डर वर्ष एवं मौसमी उद्यमों के लिए पिछले कार्यकारी मौसम को सन्दर्भ अवधि माना जाता है। वे उद्यम जिन्हें हाल ही में प्रारम्भ किया गया हो, की जानकारी गणना के दिनांक की स्थिति के अनुसार की जाती है।

आर्थिक गणना, राष्ट्रीय सॉखिकी कार्यालय, सॉखिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग निर्देशन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रथम बार वर्ष 1977 में करायी गयी थी। इसके उपरान्त् वर्ष 1980 व 1990 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ ही क्रमशः द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना के ऑकडे एकत्रित कराये गये। चतुर्थ आर्थिक गणना वर्ष 1998 व पंचम आर्थिक गणना वर्ष 2005 में करायी गयी। भारत सरकार द्वारा सॉखिकी संग्रहण अधिनियम-2008 पारित किये जाने के फलस्वरूप छठी एवं 7वीं आर्थिक गणना के ऑकड़ों के संग्रहण का कार्य उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित कराया गया।

## 7वीं आर्थिक गणना—2019

राष्ट्रीय साँचियकीय कार्यालय, साँचियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने 7वीं आर्थिक गणना का सर्वेक्षण/गणना कार्य कॉमन सर्विस सेन्टर, ई—गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लिंग के माध्यम से सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें ऑकड़ों संग्रहण एवं प्रथम स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य कॉमन सर्विस सेन्टर, ई—गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लिंग के द्वारा नियुक्त एवं प्रशिक्षित प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम कराया गया। 7वीं आर्थिक गणना कार्य 26.12.2019 से प्रारम्भ होने के उपरान्त साढ़े तीन माह में पूर्ण किया जाना निर्धारित था, परन्तु वैशिवक महामारी कोविड-19 के कारण उक्त ऑकड़ों का संग्रहण एवं प्रथम स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य दिनांक 31.12.2020 तक तथा द्वितीय स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य दिनांक 31.01.2021 तक सम्पन्न करने हेतु साँचियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया।

वर्तमान में प्रदेश की अद्यावधिक भौगोलिक सीमा एवं प्रशासनिक इकाईयों के आधार पर 7वीं आर्थिक गणना—2019 प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सम्पन्न करायी गयी। जनपदों के नवसृजन एवं पुनर्गठन होने के कारण भौगोलिक सीमा के अनुसार क्षेत्र को समायोजित करके सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया। 7वीं आर्थिक गणना—2019 में ग्राम पंचायत को एक इकाई मानकर सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।

MoSPI, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए बनाये गये Reporting Dash Board पर अनन्तिम ऑकड़ों/परिणामों से सम्बन्धित 17 तालिकाएं उपलब्ध करायी गयी। उक्त तालिकाओं के ऑकड़ों को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित SLCC की बैठक में अनुमोदन कराने हेतु दिनांक 25.02.2022 को उप महानिदेशक, साँचियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में वेब मीटिंग आयोजित की गयी। उक्त वेब मीटिंग में दिये गये निर्देश के क्रम में तालिकाओं के ऑकड़ों में प्राप्त विसंगतियों से भारत सरकार को अवगत कराया गया। भारत सरकार के स्तर से उक्त विसंगतियों का निराकरण अपेक्षित रहा।

\*\*\*\*\*

## अध्याय—11

### प्रकाशन एवं प्रचार

#### 11.0 पृष्ठभूमि—

इस अनुभाग द्वारा प्रभाग के प्रकाशन एवं प्रचार सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं।

#### 11.1 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशन

प्रभाग मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा नियमित रूप से निम्नांकित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियां प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग को मुद्रण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाती हैं।

क्र०सं०	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन से सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1	साँख्यिकीय डायरी, उ०प्र० (हिन्दी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1968
2	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1991
3.	उ०प्र० की आर्थिक समीक्षा	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1994—95
4.	राज्य आय अनुमान, उ०प्र०	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1950—51
5.	उ०प्र० का आय—व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1965—66
6.	राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० का कार्य विवरण	क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के समन्वय से राज्य नियोजन संस्थान के सभी प्रभाग	वार्षिक	
7.	साँख्यिकीय सारांश उ०प्र०	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1961
8.	जिलेवार विकास संकेतक	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1978
9.	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1976
10	अन्तर्जनपदीय आँकड़े	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1976
11.	साँख्यिकीय डायरी उ०प्र० (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1968
12.	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	2009
13.	जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उ०प्र०	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	2019—20
14.	वार्षिक प्रतिवेदन	समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	वार्षिक	2011

#### 11.2 तदर्थ प्रकाशन

क्र०सं०	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	आर्थिक गणना (प्रत्येक 5 वर्ष में)	1977

### 11.3 चक्रमुद्रित प्रकाशन

क्र०सं०	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	औद्योगिक साँख्यिकी अनुभाग	वार्षिक	1964–65
2.	स्थानीय निकायों के आय—व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी ऑकड़े	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1967–68
3.	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक	आवास साँख्यिकी अनुभाग	वार्षिक	1981–82

उक्त मुद्रित प्रकाशनों का वितरण जनपदीय / मण्डलीय कार्यालयों में प्रभाग द्वारा किया जाता है।

### 11.4 वर्ष 2021–22 में मुद्रित प्रकाशन

1	वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21	वार्षिक
2	न्यूज लेटर अप्रैल से सितम्बर 2020	त्रैमासिक
3	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अक्टूबर से दिसम्बर 2020	त्रैमासिक
4	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जनवरी—मार्च 2021	त्रैमासिक
5	साँख्यिकीय डायरी उ0प्र०(अंग्रेजी) 2020	वार्षिक
6	UP AT A GLANCE (in figure) 2020	वार्षिक
7	साँख्यिकीय सारांश उ0प्र० 2020	वार्षिक
8	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक ऑकड़े 2019	वार्षिक
9	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016–17	वार्षिक
10	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2017–18	वार्षिक
11	जिलेवार विकास संकेतक उ0प्र० 2019	वार्षिक
12	जिलेवार विकास संकेतक उ0प्र० 2020	वार्षिक
13	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक 2019–20	वार्षिक

\*\*\*\*\*

## अध्याय—12

### प्रशिक्षण एवं समन्वय

#### 12.0 पृष्ठभूमि—

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय साँचिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष अनुभाग की स्थापना अनुसंधान अनुभाग नाम से की गयी थी। इस अनुभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यों को देखते हुये इसे अनुसंधान अनुभाग से परिवर्तित कर समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग किया गया। 13 अगस्त, 2007 को समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग से ही सम्बद्ध एक रिसर्च सेल की स्थापना की गयी, जिसके द्वारा समय—समय पर विभिन्न विषयों पर पेपर/प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। दिनांक: 06.10.2008 को इस अनुभाग का नाम पुनः संशोधित करते हुये समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग रख दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त रिसर्च सेल को दिनांक 12.08.2009 को समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग में विलीन कर दिया गया।

#### 12.1 कार्य एवं दायित्व

इस अनुभाग का मुख्य दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय साँचिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ प्रभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रस्तुतीकरण तथा शोध सम्बन्धी कार्य करना एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना है। उक्त दायित्वों के अन्तर्गत अनुभाग द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं—

- समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग द्वारा भारत सरकार, उ0 प्र0 शासन, प्रदेश के अन्य विभागों, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मण्डलों एवं जनपदीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भारत सरकार एवं शासन को सूचना का प्रेषण।
- मण्डलों एवं जनपदों के समग्र कार्यों की सूचना प्राप्त कर मण्डलीय उपनिदेशकों एवं जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जनपद एवं मण्डल के कार्यों की समीक्षा कराना।
- मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा कराना।
- शासन की माँग के अनुसार प्रभाग की कार्य योजना (टास्क सेटिंग) तथा माहवार प्रगति रिपोर्ट, प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रत्येक माह महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तथा अधिष्ठान एवं लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर उपलब्ध कराना।
- समय—समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/सेमिनार कार्यक्रम में प्रभाग, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्मिकों को नामित कराना।
- विभागीय तकनीकी एवं सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व अन्य सम्बन्धित कार्य।
- केन्द्रीय साँचिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहे केन्द्र एवं राज्यों के साँचिकीय संगठनों के सम्मेलन (COCSO) में राज्यों की साँचिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जा रही संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्रदेश के अन्य विभागों व प्रभाग के अन्य अनुभागों से प्राप्त कर संकलित रूप में भारत सरकार को भिजवानें के कार्य को भी सम्पादित किया जाता है साथ ही आयोजित किये जाने वाले सम्मेलन हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय साँचिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्य।

- प्रभाग का त्रैमासिक News Letter ESR, U.P. का प्रकाशन प्रभाग द्वारा दिसम्बर 2008 से किया जा रहा है। इस News Letter का उद्देश्य प्रभाग के समस्त कार्यकलापों, अधुनान्त सूचकांकों व प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य अंश तथा अन्य साँख्यिकीय कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।
- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्व० प्रो० पी० सी० महालनोबिस के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 29 जून को राष्ट्रीय साँख्यिकी दिवस एवं प्रत्येक 5 वर्ष में 20 अक्टूबर को विश्व साँख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। साँख्यिकी दिवस हेतु विषय का निर्धारण MoSPI भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय साँख्यिकी दिवस से सम्बन्धित आख्या (फोटो सहित) प्रकाशन हेतु CSO भारत सरकार को भेजी जाती है।

## **12.2 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य**

- प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की गयी।
- स्व० प्रो०पी०सी० महालनोबिस के जन्मदिवस पर 15वां राष्ट्रीय साँख्यिकी दिवस दिनांक 29–06–2021 का आयोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का विषय SDG Goal 2- Zero Hunger निर्धारित किया गया।
- राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के 69 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- शासन से प्राप्त विविध प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन को प्रेषित की गयी।
- मण्डलीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हेतु समीक्षा बैठक आयोजित करायी गयी।
- अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन की समीक्षा बैठक हेतु सूचना तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी।
- प्रत्येक माह प्रभाग के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की सूचना एवं प्रभाग के निस्तारित प्रकरणों की सूचना तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी।
- प्रत्येक माह टार्स्क सेटिंग की सूचना तैयार कर अनुमोदित करायी गयी।
- त्रैमासिक न्यूज लेटर जनवरी–मार्च 2021, अप्रैल–जून 2021, जुलाई–सितम्बर 2021 तथा अक्टूबर–दिसम्बर 2021 तैयार कर प्रकाशित कराया गया।

**\*\*\*\*\***

## अध्याय—13

### स्थापना सम्बन्धी कार्य

#### 13.0 पृष्ठभूमि—

वर्ष 1931 में प्रभाग के अस्तित्व में आते ही स्थापना अनुभाग की स्थापना की गयी, तत्समय से ही निम्न प्रकार के कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है—

- प्रशासनिक व्यवस्था—मण्डल/जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- नियुक्ति—शासन द्वारा प्रभाग में सूचित पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- पदोन्नति—संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति के पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- स्थायीकरण—प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ज्येष्ठता—प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों की नियमानुसार ज्येष्ठता की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन—शासन द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को लाभ दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सेवा सम्बन्धी अन्य प्रकरण।
- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।
- स्थापना सम्बन्धी सूचनाओं का प्रेषण।

#### 13.1 वर्ष 2021–22 में सम्पादित कार्य

##### अधियाचन

- 03 अर्थ एवं संख्याधिकारियों का अधियाचन लोक सेवा आयोग प्रयागराज को भेजने हेतु प्रस्ताव शासन भेजा गया।
- 25 सहायक साँचियकीय अधिकारियों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया।
- 25 वाहन चालकों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया।

##### नियुक्ति

- कनिष्ठ सहायक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में 07 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
- मृतक आश्रित के रूप में 02 चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

##### स्थायीकरण

- 43 कनिष्ठ सहायकों का स्थायीकरण किया गया।
- 21 वाहन चालकों का स्थायीकरण किया गया।

##### ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन

- 123 कनिष्ठ सहायकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी।

## **पदोन्नति**

- 191 ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग से सहायक साँचियकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी।
- 102 वरिष्ठ सहायक के पद से सहायक साँचियकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी।
- 96 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति किया गया।
- 03 अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति की गयी।
- 01 उप निदेशक के पद से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की गयी।
- 07 वाहन चालकों को ड्राइवर ग्रेड-2 से ड्राइवर ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति किया गया।
- 03 वाहन चालकों को ड्राइवर ग्रेड-1 से विशेष ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति किया गया।
- 01 वाहन चालक को ड्राइवर ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति किया गया।

## **ए०सी०पी०**

- 25 अर्थ एवं संख्याधिकारियों को प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिये जाने हेतु दिनांक 31.12.2021 को ए०सी०पी० कमेटी की बैठक सम्पन्न कर सूची को अन्तिम रूप दिलवाया गया तथा पात्र अधिकारियों को शासन स्तर से आदेश निर्गत किये गये।
- 07 अपर साँचियकीय अधिकारियों को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिया गया।
- 01 तत्कालीन वरिष्ठ सहायक सम्प्रति सहायक साँचियकीय अधिकारी को प्रथम द्वितीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।

## **अनुशासनिक कार्यवाही—**

- 03 अर्थ एवं संख्याधिकारियों की अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।
- 15 अपर साँचियकीय अधिकारियों की अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।
- 02 सहायक साँचियकीय अधिकारियों की अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।
- 02 वरिष्ठ सहायकों की अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।

## **नकदीकरण**

- वर्ष 2021–22 में 01 निदेशक, 01 उप निदेशक, 01 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 09 अपर साँचियकीय अधिकारी, 02 सहायक साँचियकीय अधिकारी, 02 वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, 02 वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2, 04 वरिष्ठ सहायक, 03 कनिष्ठ सहायक, 05 वाहन चालक का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया।

\*\*\*\*\*

## अध्याय—14

### लेखा सम्बन्धी कार्य

#### 14.0 पृष्ठभूमि—

प्रभाग के लेखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य के सम्पादन हेतु मुख्यालय पर दो अनुभाग हैं।

- लेखा अनुभाग—1
- लेखा अनुभाग—2

#### 14.1 लेखा अनुभाग—1 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- प्रभाग मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, मण्डलीय उप निदेशकों एवं जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के वार्षिक सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखे का रख—रखाव।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति देयकों के निस्तारण।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख—रखाव।
- कर्मचारियों/अधिकारियों की पूर्व सेवा में की गयी सेवा को वर्तमान विभाग की सेवा में जोड़ने का कार्य।
- दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवा में की गयी सेवा को वर्तमान विभाग की सेवा में जोड़ने का कार्य।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के कार्यालयाध्यक्षों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों के समस्त प्रकार के कालातीत देयकों को कालातीत से मुक्त कराने सम्बन्धी कार्यवाही।
- जनपदों/मण्डलों के सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य कराने सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग से वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्मिकों का डाटा फीडिंग का कार्य।
- जनपदों से प्राप्त आंतरिक लेखा परीक्षण की अनुपालन आख्या मँगाकर परीक्षण करना तथा अनिस्तारित प्रस्तरों का निस्तारण कराना।

- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर निदेशक, आंतरिक परीक्षा विभाग को भेजने सम्बन्धी कार्य।
- लेखा परीक्षा समिति/उप समिति की बैठक आडिट एवं लेखा कैडर के गठन की स्थिति एवं आडिट की गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की सूचना तैयार कर निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को भेजने का कार्य।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट आवंटन।
- विभिन्न प्रभागीय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को आय-व्ययक प्रेषित करना।
- एस0एन0डी0 के माध्यम से नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन के पुनर्स्थापना की कार्यवाही की गयी।
- अतिरिक्त अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग/अनुपूरक माँग के प्रस्ताव प्रेषित करना।
- प्रभाग में प्रचलित परियोनाओं के अन्तर्गत हुए अन्तिम व्यय/बचत की सूचना समय शासन को प्रेषित करना।
- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
- विनियोग लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय का प्रेषण।
- प्रभाग मुख्यालय का बी.एम.-4 तैयार करना एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बी.एम.-4 संकलित कर कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ.प्र., प्रयागराज को प्रत्येक माह भेजना।
- वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आँकड़ों से प्रभागीय व्यय के आँकड़ों का मिलान।

#### **14.2 लेखा अनुभाग-2 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण**

- वेतन का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग मुख्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों को अधुनान्त कर रख-रखाव करना।
- समय-समय पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का आहरण/भुगतान करना।
- प्रभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत स्वीकृति/भुगतान की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना यथा महालेखाकार से मिलान/जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी की संस्तुतियां प्राप्त किया जाना।
- समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों की किश्तों का आहरण/भुगतान करना।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का आहरण तथा सेवानिवृत्ति उपरान्त देय सामूहिक बीमे की राशि के आहरण हेतु समुचित कार्यवाही उपरान्त भुगतान करना।
- चिकित्सा दावों की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही सहित सक्षम जाँचकर्ता प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त किया जाना।
- प्रभाग के कार्मिकों द्वारा आवेदित भवन निर्माण, भवन मरम्मत, वाहन अग्रिम हेतु शासन से अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि की माँग, स्वीकृति, आहरण/भुगतान करना।

- प्रभाग की सामान्य व्यवस्था के संचालन हेतु आकर्षिक व्यय बिलों आदि के आहरण/भुगतान की कार्यवाही।
- प्रभाग मुख्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के 90 प्रतिशत जी०पी०एफ० की स्वीकृति, राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के अग्रिमों की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।
- रुपया 500000/- तक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति प्रभाग से प्रदान किया जाना तथा रुपया 500000/- से अधिक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति हेतु शासन को यथोचित प्रस्ताव भेजे जाने सम्बन्धी कार्य तथा उपचार समाप्ति के तीन माह के पश्चात् प्राप्त चिकित्सा दावें की स्वीकृति पूर्व प्रशासनिक विभाग से विलम्बमर्षण की अनुमति प्राप्त किया जाना।

\*\*\*\*\*

## अध्याय—15

# क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य

### 15.0 पृष्ठभूमि—

प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

#### 15.1 भाव एवं मजदूरी दरों का एकत्रण

जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के भावों एवं दरों का एकत्रण निर्धारित दिवस पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नवत् है, जो कि “√” से प्रदर्शित हैं –

**भाव/मजदूरी दरों का प्रकार**

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहारनपुर	√	√	√	√	√
2	मुजफ्फर नगर	√	√	√	√	√
3	शामली		√	√	√	√
4	बिजनौर	√	√	√	√	√
5	मुरादाबाद	√	√	√	√	√
6	रामपुर	√	√	√	√	√
7	ज्योतिबाफूले नगर		√	√	√	√
8	सम्मल		√	√	√	√
9	मेरठ	√	√	√	√	√
10	बागपत		√	√	√	√
11	गाजियाबाद	√	√	√	√	√
12	गौतमबुद्ध नगर	√	√	√	√	√
13	बुलन्दशहर	√	√	√	√	√
14	हापुड़		√	√	√	√
15	अलीगढ़	√	√	√	√	√
16	हाथरस	√	√	√	√	√
17	एटा	√	√	√	√	√
18	कासगंज	√	√	√	√	√
19	मथुरा	√	√	√	√	√
20	आगरा	√	√	√	√	√
21	फिरोजाबाद	√	√	√	√	√
22	मैनपुरी		√	√	√	√
23	बदायूँ	√	√	√	√	√
24	बरेली	√	√	√	√	√

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	पीलीभीत		✓	✓	✓	✓
26	शाहजहाँपुर	✓	✓	✓	✓	✓
27	खीरी	✓	✓	✓	✓	✓
28	सीतापुर	✓	✓	✓	✓	✓
29	हरदोई	✓	✓	✓	✓	✓
30	उन्नाव	✓	✓	✓	✓	✓
31	लखनऊ	✓	✓	✓	✓	✓
32	रायबरेली	✓	✓	✓	✓	✓
33	फर्रुखाबाद	✓	✓	✓	✓	✓
34	कन्नौज	✓	✓	✓	✓	✓
35	इटावा	✓	✓	✓	✓	✓
36	ओरैया		✓	✓	✓	✓
37	कानपुर देहात		✓	✓	✓	✓
38	कानपुर नगर	✓	✓	✓	✓	✓
39	जालौन	✓	✓	✓	✓	✓
40	झाँसी	✓	✓	✓	✓	✓
41	ललितपुर	✓	✓	✓	✓	✓
42	हमीरपुर	✓	✓	✓	✓	✓
43	महोबा	✓	✓	✓	✓	✓
44	बाँदा	✓	✓	✓	✓	✓
45	चित्रकूट	✓	✓	✓	✓	✓
46	फतेहपुर	✓	✓	✓	✓	✓
47	प्रतापगढ़		✓	✓	✓	✓
48	कौशाम्बी	✓	✓	✓	✓	✓
49	प्रयागराज	✓	✓	✓	✓	✓
50	बाराबंकी	✓	✓	✓	✓	✓
51	अयोध्या		✓	✓	✓	✓
52	अम्बेदकर नगर	✓	✓	✓	✓	✓
53	सुल्तानपुर	✓	✓	✓	✓	✓
54	अमेर्ठी		✓	✓	✓	✓
55	बहराइच	✓	✓	✓	✓	✓
56	श्रावस्ती	✓	✓	✓	✓	✓
57	बलरामपुर		✓	✓	✓	✓
58	गोण्डा	✓	✓	✓	✓	✓
59	सिद्धार्थनगर	✓	✓	✓	✓	✓
60	बस्ती		✓	✓	✓	✓

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61	संतकबीर नगर		✓	✓	✓	✓
62	महराजगंज		✓	✓	✓	✓
63	गोरखपुर	✓	✓	✓	✓	✓
64	कुशीनगर		✓	✓	✓	✓
65	देवरिया	✓	✓	✓	✓	✓
66	आजमगढ़	✓	✓	✓	✓	✓
67	मऊ		✓	✓	✓	✓
68	बलिया	✓	✓	✓	✓	✓
69	जौनपुर	✓	✓	✓	✓	✓
70	गाजीपुर	✓	✓	✓	✓	✓
71	चन्दौली	✓	✓	✓	✓	✓
72	वाराणसी	✓	✓	✓	✓	✓
73	भदोही	✓	✓	✓	✓	✓
74	मिर्जापुर	✓	✓	✓	✓	✓
75	सोनभद्र	✓	✓	✓	✓	✓

इसके अतिरिक्त कच्चे ऊन के थोक भाव 5 केन्द्रों झाँसी, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर एवं रायबरेली से संग्रहित किये गये। 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये गये। हापुड़ मण्डी के 11 आवश्यक वस्तुओं के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये गये। कानपुर केन्द्र के बड़ी इलायची के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये गये।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा ग्रामीण फुटकर भाव/दरों का 6 से कम विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रतिमाह एक निरीक्षण एवं 6 या उससे ऊपर की स्थिति में प्रतिमाह 2 निरीक्षण किये जाते हैं। उपनिदेशक द्वारा इन मदों का विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह कम से कम 2 निरीक्षण किये जाते हैं।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा नगरीय फुटकर भाव/मजदूरी दरों का प्रत्येक दो माह में कम से कम 1 बार तथा उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जनपदों में दो निरीक्षण किये जाते हैं।

#### 15.2 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या) / क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा भाव एवं मजदूरी दरों के किये गये निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2021–22

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	भाव एवं मजदूरी दरों के निरीक्षणों की संख्या
1	2	3
1	सहारनपुर	66
2	मुजफ्फरनगर	38
3	शामली	111
(I)	सहारनपुर मण्डल	-
	योग सहारनपुर (मण्डल एवं जनपद)	<b>215</b>
4	बिजनौर	75

5	मुरादाबाद	71
6	रामपुर	40
7	अमरोहा	24
8	सम्भल	84
(II)	मुरादाबाद मण्डल	113
	योग मुरादाबाद (मण्डल एवं जनपद)	<b>407</b>
9	मेरठ	48
10	बागपत	44
11	गाजियाबाद	49
12	गौतमबुद्ध नगर	10
13	बुलन्दशहर	84
14	हापुड़	21
(III)	मेरठ मण्डल	2
	योग मेरठ (मण्डल एवं जनपद)	<b>258</b>
15	अलीगढ़	109
16	हाथरस	119
17	एटा	79
18	कासगंज	62
(IV)	अलीगढ़ मण्डल	26
	योग अलीगढ़ (मण्डल एवं जनपद)	<b>395</b>
19	मथुरा	115
20	आगरा	94
21	फिरोजाबाद	56
22	मैनपुरी	33
(V)	आगरा मण्डल	86
	योग आगरा (मण्डल एवं जनपद)	<b>384</b>
23	बदायूँ	13
24	बरेली	88
25	पीलीभीत	42
26	शाहजहांपुर	79
(VI)	बरेली मण्डल	109
	योग बरेली (मण्डल एवं जनपद)	<b>331</b>
27	खीरी	31
28	सीतापुर	-
29	हरदोई	12
30	उन्नाव	104
31	लखनऊ	87
32	रायबरेली	74
(VII)	लखनऊ मण्डल	54
	योग लखनऊ (मण्डल एवं जनपद)	<b>362</b>
33	फर्रुखाबाद	33

34	कन्नौज	46
35	इटावा	99
36	औरैया	33
37	कानपुर देहात	60
38	कानपुर नगर	8
(VIII)	कानपुर मण्डल	20
	योग कानपुर (मण्डल एवं जनपद)	<b>299</b>
39	जालौन	132
40	झाँसी	95
41	ललितपुर	35
(IX)	झाँसी मण्डल	-
	योग झाँसी (मण्डल एवं जनपद)	<b>262</b>
42	हमीरपुर	-
43	महोबा	50
44	बाँदा	50
45	चित्रकूट	32
(X)	चित्रकूटधाम मण्डल	75
	योग चित्रकूटधाम (मण्डल एवं जनपद)	<b>207</b>
46	फतेहपुर	69
47	प्रतापगढ़	31
48	कौशाम्बी	84
49	प्रयागराज	46
(XI)	प्रयागराज मण्डल	29
	योग प्रयागराज (मण्डल एवं जनपद)	<b>259</b>
50	बाराबंकी	58
51	अयोध्या	30
52	अम्बेदकर नगर	77
53	सुल्तानपुर	125
54	अमेर्ठी	69
(XII)	अयोध्या मण्डल	25
	योग अयोध्या (मण्डल एवं जनपद)	<b>384</b>
55	बहराइच	60
56	श्रावस्ती	29
57	बलरामपुर	42
58	गोण्डा	65
(XIII)	देवीपाटन मण्डल	51
	योग देवीपाटन (मण्डल एवं जनपद)	<b>247</b>
59	सिद्धार्थ नगर	78
60	बस्ती	44
61	संत कबीरनगर	37
(XIV)	बस्ती मण्डल	33

	<b>योग बस्ती (मण्डल एवं जनपद)</b>	<b>192</b>
62	महाराजगंज	87
63	गोरखपुर	61
64	कुशीनगर	57
65	देवरिया	88
(XV)	गोरखपुर मण्डल	69
	<b>योग गोरखपुर (मण्डल एवं जनपद)</b>	<b>362</b>
66	आजमगढ़	62
67	मऊ	60
68	बलिया	87
(XVI)	आजमगढ़ मण्डल	1
	<b>योग आजमगढ़ (मण्डल एवं जनपद)</b>	<b>210</b>
69	जौनपुर	114
70	गाजीपुर	22
71	चन्दौली	65
72	वाराणसी	81
(XVII)	वाराणसी मण्डल	28
	<b>योग वाराणसी (मण्डल एवं जनपद)</b>	<b>310</b>
73	संत रविदास नगर(भदोही)	23
74	मिर्जापुर	71
75	सोनभद्र	98
(XVIII)	विन्ध्याचल मण्डल	40
	<b>योग विन्ध्याचल (मण्डल एवं जनपद)</b>	<b>232</b>

नोट- (-) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

\*\*\*\*\*

## फोटो सेक्शन



प्रभाग पर 15 अगस्त 2021 का आयोजन





## प्रभाग पर 15वें राष्ट्रीय साँख्यिकी दिवस का आयोजन



प्रभाग पर 26 जनवरी 2022 का आयोजन

